

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक जनवरी, 2022

विषय:- वर्ष 2022-23 के लिये आबकारी नीति के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-168/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2022-23, दिनांक 20-12-2021 एवं पत्र संख्या-जी-171/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2022-23, दिनांक 23-12-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्व एवं जनहित के दृष्टिगत वर्ष 2022-23 के लिये आबकारी नीति का निम्नवत् निर्धारण करने का निर्णय लिया गया है:-

2.1 देशी मदिरा

2.1.1 देशी मदिरा की श्रेणियां तथा गुणवत्ता:-

वर्ष 2021-22 में देशी मदिरा की तीव्रता के आधार पर प्रचलित श्रेणियों के स्थान पर वर्ष 2022-23 में देशी मदिरा की निम्नांकित श्रेणियां रखी जाएंगी:-

- (1) 36 प्रतिशत वी./वी. (मसाला)
- (2) 25 प्रतिशत वी./वी. (मसाला)

देशी मदिरा की उपरोक्त दोनों श्रेणियों के लिये कैप्स व लेबुलों के बार्डर के रंग वर्ष 2021-22 की भांति वर्ष 2022-23 हेतु इस संशोधन के साथ रखा जाएगा कि पेट बोतलों के लिये मिनरल वाटर की बोतलों में प्रयुक्त होने वाले कैप्स के समान अच्छी गुणवत्ता के प्लास्टिक कैप्स भी अनुमन्य होंगे। देशी मदिरा की बोतलों पर लगाये जाने वाले समस्त प्रकार के कैप्स पर श्रिक कैप का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा।

वर्ष 2021-22 की भांति वर्ष 2022-23 हेतु प्रदेश में केवल एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) से निर्मित देशी मदिरा का विक्रय किया जाएगा।

वर्ष 2021-22 की भांति 42.8 प्रतिशत वी.वी. तीव्रता में यू.पी. मेड लिकर(यू.पी.एम.एल.) की व्यवस्था वर्ष 2022-23 में भी अनुमन्य होगी।

परन्तु वर्ष 2022-23 में यू.पी. मेड लिकर (यू.पी.एम.एल.) की आपूर्ति असेप्टिक ब्रिक पैक (टेट्रापैक) के स्थान पर केवल कांच की बोतलों में कराया जाएगा। यू.पी. मेड लिकर (यू.पी.एम.एल.) की कांच की बोतलों में आपूर्ति में कठिनाई आने पर असेप्टिक ब्रिक पैक (टेट्रापैक) में आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने की अनुमति अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी।

2.1.2 देशी मदिरा दुकानों के वार्षिक एम.जी.क्यू.(न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/Minimum Guaranteed Quantity) का निर्धारण:-

- (i) वर्ष 2022-23 हेतु वर्ष 2021-22 के व्यवस्थित वार्षिक एम.जी.क्यू. पर 7.5 प्रतिशत की वृद्धि कर देशी मदिरा दुकानों का एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जाएगा। वर्ष 2021-22 हेतु व्यवस्थित वार्षिक एम.जी.क्यू. 54.72 करोड़ बल्क लीटर पर 7.5 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर वर्ष 2022-23 हेतु प्रदेश का प्रस्तावित न्यूनतम एम.जी.क्यू. 58.82 करोड़ बल्क लीटर 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की देशी मदिरा के संदर्भ में आगणित होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (ii) उपरोक्तानुसार आगणित दुकानवार वार्षिक एम.जी.क्यू के 12 से पूर्णतः विभाजित न हो सकने की स्थिति में इसे अगली संख्या तक, जो 12 से विभाज्य हो, बढ़ा कर वर्ष 2022-23 हेतु अतिमीकृत एम.जी.क्यू निर्धारित किया जाएगा।
- (iii) नवसृजित देशी मदिरा दुकानों का एम.जी.क्यू 2.9.2.1 में प्राविधानित न्यूनतम एम.जी.क्यू से कम नहीं होगा तथा इस संबंध में प्रचलित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा ताकि किसी अन्य दुकान का क्षेत्राधिकार प्रभावित न हो एवं निर्धारित एम.जी.क्यू युक्तिसंगत हो। यह एम.जी.क्यू 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की देशी मदिरा के संदर्भ में होगा। जिले में नवसृजित दुकानों का एम.जी.क्यू प्रस्तर-2.1.2(i) एवं 2.1.2(ii) द्वारा निर्धारित एम.जी.क्यू के अतिरिक्त होगा।

2.1.3 देशी मदिरा दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस:-

वर्ष 2022-23 हेतु बेसिक लाइसेंस फीस की व्यवस्था निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

1. मासिक एम.जी.क्यू से अतिरिक्त देशी मदिरा के उठान पर बेसिक लाइसेंस फीस न लिये जाने की व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।
2. देशी मदिरा दुकान की वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस वर्ष 2021-22 की बेसिक लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये निर्धारित की जाएगी।
3. नवसृजित देशी मदिरा दुकानों एवं मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली दुकानों अथवा ई-टेण्डर से व्यवस्थित होने वाली दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस रूपया 36/- प्रति बल्क लीटर वार्षिक एम.जी. क्यू के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

2.1.4 देशी मदिरा की लाइसेंस फीस(प्रतिफल फीस):-

वर्ष 2021-22 हेतु प्रतिफल फीस रु.226 प्रति बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में) निर्धारित है। वर्ष 2022-23 हेतु देशी मदिरा की प्रतिफल फीस की दरें वर्ष 2021-22 की भाँति निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	देशी मदिरा की श्रेणी, तीव्रता	वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तावित प्रतिफल फीस की दर (रु. प्रति बल्क लीटर)
1.	यू.पी. मेड लिकर(यू.पी.एम.एल.) 42.8 प्रतिशत वी./वी. (मसाला)	268.69
2.	36 प्रतिशत वी./वी. के रूप में(मसाला)	226.00
3.	25 प्रतिशत वी./वी.के रूप में (मसाला)	156.94

दुकान की मासिक लाइसेंस फीस जो मासिक एम.जी.क्यू में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य होगी, प्रतिमाह अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु उपरोक्तानुसार आगणित मासिक एम.जी.क्यू की निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य मासिक लाइसेंस फीस के समायोजन का अनुज्ञापी हकदार होगा। मासिक लाइसेंस फीस के उपरोक्तानुसार भुगतान, समायोजन में विफल रहने पर दुकान की प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी तथा दुकान का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जायेगा।

2.1.5 बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस की देयतायें:-

एम.जी.क्यू से अधिक देशी मदिरा की निकासी उठाने पर अतिरिक्त निकासी पर बेसिक लाइसेंस फीस अतिरिक्त रूप से देय नहीं होगी, परन्तु किसी माह में एम.जी.क्यू से अधिक उठायी गयी देशी मदिरा पर उदग्रहणीय प्रतिफल शुल्क एवं अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का समायोजन अगले महीनों हेतु निर्धारित मासिक लाइसेंस फीस के विरुद्ध नहीं होगा।

2.1.6 देशी मदिरा पर अतिरिक्त प्रतिफल फीस लिया जाना:-

वर्ष 2021-22 में देशी मदिरा के ऑप्टिमम रिटेल प्राइस को बढ़ाकर देशी मदिरा की एम.आर.पी. रु.5 के अगले गुणांक में निर्धारित की गयी है एवं अन्तर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में आसवनी स्तर पर ही वसूल किया जा रहा है। इस व्यवस्था को आगामी वर्ष 2022-23 के लिये यथावत रखा जाता है। इस प्रकार वसूली गयी अतिरिक्त प्रतिफल फीस की धनराशि देशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापी की लाइसेंस फीस में समायोजन योग्य नहीं होगी। परन्तु अनुज्ञापी द्वारा मासिक एम.जी.क्यू का पूर्ण रूप से उठान न किये जाने की स्थिति में अनुज्ञापी को, न उठाये गये एम.जी.क्यू की मात्रा में सन्निहित प्रतिफल शुल्क व इसमें सन्निहित 36

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की देशी मदिरा के 200 एम.एल. की बोतलों की संख्या पर देय अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

2.1.7(i) देशी मदिरा का मूल्य निर्धारण:-

वर्ष 2022-23 हेतु देशी मदिरा के अधिकतम थोक व अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित तालिका के अनुसार किया जाता है:-

IESCMS लागू होने के पूर्व

क्र.सं.	देशी मदिरा का प्रकार	धारिता (एम.एल.)	प्रतिफल शुल्क रहित एक्स आसवनी मूल्य (रुपये में)	प्रतिफल शुल्क	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)	थोक क्रय मूल्य (रुपये में)	थोक विक्रय मूल्य (रुपये में)	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (रुपये में)
1.	36 प्रतिशत वी/वी (मसाला)	200	4.95	45.20	1.59	50.95	51.78	65.00
2.	25 प्रतिशत वी/वी (मसाला)	200	4.38	31.39	4.61	36.51	37.21	50.00

IESCMS लागू होने के पश्चात

क्र.सं.	देशी मदिरा का प्रकार	धारिता (एम.एल.)	प्रतिफल शुल्क रहित एक्स आसवनी मूल्य (रुपये में)	प्रतिफल शुल्क	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)	थोक क्रय मूल्य (रुपये में)	थोक विक्रय मूल्य (रुपये में)	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (रुपये में)
1.	36 प्रतिशत वी/वी (मसाला)	200	4.86	45.20	1.69	50.85	51.68	65.00
2.	25 प्रतिशत वी/वी (मसाला)	200	4.29	31.39	4.71	36.41	37.11	50.00

(संलग्नक-1)

(ii) वर्ष 2022-23 हेतु यू.पी. मेड लिक्वर(यू.पी.एम.एल.) के अधिकतम थोक व अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित तालिका के अनुसार किया जाता है:-

IESCMS लागू होने के पूर्व

क्र.सं.	देशी मदिरा का प्रकार	धारिता (एम.एल.)	प्रतिफल शुल्क रहित एक्स आसवनी मूल्य (रुपये में)	प्रतिफल शुल्क	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)	थोक क्रय मूल्य (रुपये में)	थोक विक्रय मूल्य (रुपये में)	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (रुपये में)
1.	यू.पी. मेड लिक्वर(यू.पी.एम.एल.) 42.8 प्रतिशत वी./वी.(मसाला)	200	9.17	53.74	0.98	64.14	65.17	80.00
2.	यू.पी. मेड लिक्वर(यू.पी.एम.एल.) 42.8 प्रतिशत वी./वी.(मसाला)	100	4.66	26.87	0.23	32.16	32.68	40.00

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

IESCMS लागू होने के पश्चात

क्र.सं	देशी मदिरा का प्रकार	धारिता (एम.एल.)	प्रतिफल शुल्क रहित एक्स आसवनी मूल्य (रुपये में)	प्रतिफल शुल्क	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)	थोक क्रय मूल्य (रुपये में)	थोक विक्रय मूल्य (रुपये में)	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (रुपये में)
1.	यू.पी. मेड लिक्वर(यू.पी.एम.ए ल.) 42.8 प्रतिशत वी./वी.(मसाला)	200	9.08	53.74	1.09	64.04	65.06	80.00
2.	यू.पी. मेड लिक्वर(यू.पी.एम.ए ल.) 42.8 प्रतिशत वी./वी.(मसाला)	100	4.57	26.87	0.33	32.06	32.58	40.00

(संलग्नक-2)

नोट:- देशी मदिरा एवं यू.पी. मेड लिक्वर(यू.पी.एम.एल.) के मूल्य निर्धारण में बार-कोड, क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन में रु.0.15 प्रति यूनिट की व्यवस्था की गयी है। आई.इ.एस.सी.एम.एस. लागू होने के उपरांत उपरोक्त रु.0.15 में से रु.0.09 टैक ऐण्ड ट्रेस ऐप्लीकेशन हेतु आसवनियों को प्रतिफल शुल्क रहित एक्स आसवनी मूल्य में से जमा करना होगा।

2.1.8 वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति में आसवनियों से देशी मदिरा की आपूर्ति के संबंध में निम्न प्राविधान किया गया था:-

"प्रत्येक देशी मदिरा उत्पादक आसवनी यह सुनिश्चित करेगी कि देशी मदिरा की आपूर्ति इण्डेण्ट प्राप्ति से 03 दिन के भीतर हो जाय। विलम्ब की दशा में इण्डेण्ट में वांछित निकासी में सन्निहित राजस्व के 0.5 प्रतिशत की दर से आसवनी पर प्रतिदिन जुर्माना आरोपित होगा। यह जुर्माना सहायक आबकारी आयुक्त संबंधित आसवनी द्वारा प्रत्येक सप्ताह आगणित कर के आसवनी के अग्रिम खाते से समायोजित कर लिया जायेगा जिसे लाल स्याही से अंकित किया जायेगा।

प्रतिबंध यह होगा कि गत तीन वर्षों में किसी आसवनी द्वारा संगत माह में किये गये देशी मदिरा के अधिकतम उत्पादन पर 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये वर्ष 2020-21 के संगत माह की अधिकतम उत्पादन क्षमता निर्धारित की जायेगी। परन्तु यह आसवनी की स्वीकृत वार्षिक पेय क्षमता के मासिक औसत से अधिक नहीं होगी। यदि आसवनी द्वारा देशी एवं विदेशी मदिरा दोनों का उत्पादन किया जा रहा है तो गत वर्ष का विदेशी मदिरा उत्पादन स्वीकृत पेय क्षमता से घटाया जायेगा। अधिकतम मासिक उत्पादन क्षमता से कम उत्पादन, निकासी करने वाली आसवनी, जहाँ तीन दिवस से अधिक अवधि के इण्डेण्ट लम्बित होंगे, के संबंध में माह के अंत में अधिकतम उत्पादन क्षमता एवं वास्तविक रूप से किये गये उत्पादन का अंतर निकाला जायेगा। इस अंतर की सीमा तक के 03 दिवस से अधिक अवधि के लम्बित सबसे पुराने इण्डेण्टों से आरम्भ करते हुये ऐसे समस्त इण्डेण्टों की आपूर्ति इस प्रस्तर के अनुसार विलम्बित मानी जायेगी एवं तदनुसार जुर्माना आरोपित किया जायेगा। ऐसी आसवनियाँ जहाँ तीन दिवस से अधिक अवधि के लम्बित इण्डेण्टों में सन्निहित मदिरा की मात्रा आसवनी की अधिकतम औसत उत्पादन क्षमता से कम होगी, वहाँ पर उपरोक्त प्रस्तर के प्राविधानानुसार जुर्माना आरोपित किया जायेगा।

उदाहरण के लिये किसी आसवनी द्वारा यदि गत तीन वर्ष में माह अप्रैल में क्रमशः 90 ब.ली., 100 ब.ली. एवं 95 ब.ली. देशी मदिरा का उत्पादन किया गया है तो गत तीन वर्षों में माह अप्रैल का देशी मदिरा का अधिकतम उत्पादन 100 ब.ली. को 15 प्रतिशत बढ़ाने पर संदर्भगत वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल की देशी मदिरा की अधिकतम उत्पादन क्षमता 115 ब.ली. निर्धारित होगी। यदि आसवनी द्वारा माह अप्रैल में इससे अधिक उत्पादन कर निकासी दी गयी है तो कोई पेनाल्टी देय नहीं होगी।

यदि माह अप्रैल में इससे कम उत्पादन हुआ, उदाहरण के लिये केवल 100 ब.ली. का उत्पादन कर निकासी दी गयी है तो निर्धारित अधिकतम उत्पादन क्षमता के सापेक्ष किये गये कम उत्पादन "15 ब.ली." के समतुल्य सबसे पुराने लम्बित इण्डेण्ट पर पेनाल्टी देय होगी। ऐसे चिन्हित इण्डेण्ट पर इण्डेण्टवार, इण्डेण्ट की

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

तिथि से 03 दिवस के अतिरिक्त मासान्त तक हुये विलम्ब के लिये इस प्रस्तर में निर्धारित पेनाल्टी देय होगी। प्रत्येक माह के लिये उपरोक्तानुसार पेनाल्टी का निर्धारण किया जायेगा।

यदि आसवनी की स्वीकृत वार्षिक पेय क्षमता 1500 ब.ली. है एवं उक्त आसवनी द्वारा गत वर्ष 240 ब.ली. का विदेशी मदिरा का उत्पादन किया गया है तो मासिक औसत उत्पादन क्षमता का आगणन $\{(1500-240)/12 = 105 \text{ ब.ली.}\}$ होगी। उक्त स्थिति में 105 ब.ली. के अतिरिक्त निकासी दिये जाने पर कोई पेनाल्टी देय नहीं होगी।

प्रत्येक आसवनी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इण्डेण्ट प्राप्ति के 02 कार्य दिवसों के अन्दर इण्डेण्ट में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क को राजकोष में जमा कर दिया जाय अन्यथा की दशा में ₹.5,000/- प्रतिदिन की दर से आसवनी पर जुर्माना आरोपित किया जायेगा। यह जुर्माना सहायक आबकारी आयुक्त सम्बन्धित आसवनी द्वारा प्रत्येक सप्ताह आगणित करके आसवनी के अग्रिम खाते से समायोजित कर लिया जायेगा, जिसे लाल स्याही से अंकित किया जायेगा।"

थोक अनुज्ञापनों से प्राप्त इण्डेण्ट के सापेक्ष देशी मदिरा की आपूर्ति की समय सीमा एवं विलम्ब की दशा में जुर्माना के संबंध में वर्ष 2021-22 के उपरोक्त प्राविधान को वर्ष 2022-23 में यथावत रखा जाएगा।

2.1.9 देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु निर्धारित धारितायें:-

वर्ष 2022-23 में देशी मदिरा की आपूर्ति 36 प्रतिशत तीव्रता (मसाला) एवं 25 प्रतिशत तीव्रता (मसाला) में मात्र 200 एम.एल. की धारिता वाली पेट बोतलों, असेप्टिक ब्रिक पैक (टेटापैक) अथवा कांच की बोतलों में किया जाएगा। यू.पी. मेड लिकर(यू.पी.एम.एल.) 42.8 प्रतिशत वी./वी. की 200 एम.एल. तथा 100 एम.एल. की धारिताओं में केवल कांच की बोतलों में आपूर्ति करायी जाएगी।

2.1.10 देशी मदिरा की निर्यात, आयात पास फीस:-

वर्ष 2021-22 की भांति वर्ष 2022-23 में देशी मदिरा की निर्यात पास फीस रु.10/- प्रति ए.एल. तथा आयात फीस रु.1 प्रति ए.एल. यथावत रखा जाता है।

2.1.11 आयातित देशी मदिरा की आपूर्ति:-

देशी मदिरा की आपूर्ति में आने वाली कठिनाइयों के निवारण हेतु विशिष्ट परिस्थितियों में प्रदेश के बाहर से आयातित देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु वर्ष 2019-20 में प्राविधानित व्यवस्था को वर्ष 2022-23 में यथावत रखी जाती है।

2.2 विदेशी मदिरा

2.2.1 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस:-

विदेशी मदिरा दुकान की वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस वर्ष 2021-22 की वार्षिक लाइसेंस फीस पर 7.5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रूपया 5000/- के गुणक में नहीं पायी जाती है तो उसे बढ़ाकर रूपया 5000/- के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित किया जायेगा।

2.2.2 विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण:-

वर्ष 2022-23 हेतु भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम.एफ.एल.) की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-

क्र.सं	ई.डी.पी. की श्रेणी प्रति बोतल (750 एम.एल.) (E) (रु.)	श्रेणी का नाम	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (750 एम.एल.) (D) (रु.)	थोक विक्रेता का मार्जिन (WM) (रु.)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (RM) (रु.)	एम.आर.पी. का सूत्र (MRP) (रु.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	0 से 70 तक	इकोनोमी	रु.242+ई.डी.पी. का 75%	रु.3.75+ई.डी.पी. का 3.00%	रु.60+ई.डी.पी. का 20%	कालम 2+4+5+6 का योग
2.	70 से अधिक, 125 तक	मीडियम	रु.264+ई.डी.पी. का 82%	रु.4.00+ई.डी.पी. का 2.80%	रु.60+ई.डी.पी. का 20%	कालम 2+4+5+6 का योग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3.	125 से अधिक, 250 तक	रेगूलर	रु.272+ई.डी.पी. का 83%	रु.4.00+ई.डी.पी. का 2.80%	रु.75+ई.डी.पी. का 10%	कालम 2+4+5+6 का योग
4.	250 से अधिक, 400 तक	प्रीमियम	रु.279+ई.डी.पी. का 85%	रु.4.75+ई.डी.पी. का 2.50%	रु.75+ई.डी.पी. का 10%	कालम 2+4+5+6 का योग
5.	400 से अधिक, 600 तक	सुपर प्रीमियम	रु.294+ई.डी.पी. का 90%	रु.4.75+ई.डी.पी. का 2.50%	रु.85+ई.डी.पी. का 7.5%	कालम 2+4+5+6 का योग
6.	600 से अधिक	स्कॉच	रु.304+ई.डी.पी. का 95%	रु.4.75+ई.डी.पी. का 2.50%	रु.85+ई.डी.पी. का 7.5%	कालम 2+4+5+6 का योग

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2022-23 हेतु निम्न व्यवस्थाएं निर्धारित जाती हैं:-

1. वर्ष 2022-23 हेतु कांच और पेट बोटलों, असेप्टिक ब्रिक पैक (टेट्रापैक) एवं कैन में विदेशी मदिरा की आपूर्ति अनुमत्य होगी।

2. विदेशी मदिरा ब्राण्ड के मूल्य निर्धारण हेतु आसवनी/बाण्डधारक इकाई को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित ई.डी.पी. कास्ट एकाउटेन्ट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा प्रमाणित है, जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एवं बिहार (सम्प्रति बिहार में मद्यनिषेध है) में घोषित संबंधित ब्राण्ड या उसके सामानान्तर ब्राण्ड के लिये घोषित न्यूनतम ई.डी.पी. के समतुल्य अथवा उससे कम है।

विभिन्न प्रदेशों में ई.डी.पी. में सम्मिलित किये जाने वाले मदों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में लाइसेंस फीस, बॉटलिंग फीस, आयात फीस, ब्राण्ड पंजीकरण फीस, लेबुल अनुमोदन फीस, शीरा पर प्रशासनिक फीस, ई.एन.ए. पर वेट, परमिट फीस, स्पेशल फीस आदि भिन्न हैं। अतः ई.डी.पी. का मिलान करने हेतु इनका संज्ञान लिया जायेगा। शपथ पत्र में सह भी उल्लेख किया जायेगा कि जांच में अभिकथन असत्य पाये जाने पर प्रतिभूति अथवा रूपया एक लाख जो कम हो, जब्त करते हुये ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जायेगा।

3. 180 एम.एल. धारिता हेतु दी गयी ई.डी.पी. के आधार पर अन्य धारिताओं की ई.डी.पी. का निर्धारण किया जाएगा एवं ई.डी.पी. का आगणन निम्नानुसार होगा:-

EDP(180)= आसवक द्वारा घोषित
EDP of SKU less than 180ML
EDP(Size of SKU)= [EDP(180)/180]*(Size of SKU)
EDP of SKU less than or equal to 375ML but greater than 180ML
EDP(Size of SKU)= [EDP(180)/180]*(Size of SKU)-2
EDP of SKU greater than 375ML
EDP(Size of SKU)= [EDP(180)/180]*(Size of SKU)-7

90 एम.एल. व 60 एम.एल. के एम.आर.पी. निर्धारण हेतु ई.डी.पी. का आगणन 180 एम.एल. की ई.डी.पी. के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जाएगा।

4. स्पेशल फीस एवं ट्रेक एण्ड ट्रेस क्रियान्वयन हेतु रु.0.35 प्रत्येक बोटल की ई.डी.पी. में सम्मिलित होंगे।

5. विदेशी मदिरा के अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य को राउण्ड ऑफ करते हुये, 10 के गुणांक के अगले स्तर पर निर्धारित कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में लिया जायेगा।

2.2.3 विदेशी मदिरा का ई.एन.ए. से निर्माण:-

विदेशी मदिरा की सभी श्रेणियों का निर्माण ई.एन.ए. से करने की व्यवस्था प्रभावी है, जिसे वर्ष 2022-23 में भी यथावत रखा जाता है। रम को छोड़कर अन्य प्रकार की भारत निर्मित विदेशी मदिरा में शीरा आधारित ई.एन.ए. का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

2.2.4 प्रतिरक्षा सेनाओं एवं अन्य केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक सुरक्षा बलों को विदेशी मदिरा की आपूर्ति:-

वर्ष 2021-22 में निम्न प्राविधान था:-

1. लाइसेंस फीस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र.सं.	अनुज्ञापन का प्रकार	लाइसेंस फीस की दर
1	एफ.एल.-9 एवं एफ.एल.-9ए	1. विदेशी मदिरा- रूपया 30.00/- प्रति बोतल (750 एम.एल.) 2. बीयर - रूपया 07.00 /- प्रति बोतल (650 एम.एल.)
2	एफ.एल.-2ए	रूपया 10,000/- प्रति वर्ष प्रति अनुज्ञापन

2. वर्ष 2021-22 में एफ.एल.-9 एवं एफ.एल.-9ए के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस सिविल हेतु अनुमन्य प्रतिफल फीस का 60 प्रतिशत निर्धारित थी।

3. एफ.एल.-9ए अनुज्ञापनों के अन्तर्गत रियायती रम की आपूर्ति इकोनोमी श्रेणी की विदेशी मदिरा की ई.डी.पी. रुपये 0 से 70 तक के अनुसार अनुमन्य थी।

4. सेना के अधिकारियों को एफ.एल.-9 अनुज्ञापनों के माध्यम से बीयर की भांति एल.ए.बी. की बिक्री अनुमन्य थी।

5. केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक सुरक्षा बलों को एफ.एल.-9ए अनुज्ञापन अनुमन्य थे। इसके अतिरिक्त उन्हें एफ.एल.-9 का अनुज्ञापन भी अनुमन्य था।

उपरोक्त प्राविधान वर्ष 2022-23 में भी यथावत रखे जाते हैं।

2.2.5 एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए (आसवनी स्तर से विदेशी मदिरा, बीयर की आपूर्ति के थोक अनुज्ञापन) की लाइसेंस फीस:-

वर्ष 2021-22 हेतु एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस रु.6,25,000/- एवं प्रतिभूति धनराशि रु.62,500/- प्रति अनुज्ञापन निर्धारित है, जिसे वर्ष 2022-23 हेतु रु.8,00,000/- एवं प्रतिभूति धनराशि रु.80,000/- प्रति अनुज्ञापन रखा जाता है। परन्तु ऐसे एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए अनुज्ञापनों, जिनका नवीनीकरण वर्ष 2022-23 अथवा अप्रेतर वर्षों के लिये पूर्व में ही हो चुका है, पर उक्त प्राविधान लागू नहीं किया जाएगा।

2.2.6 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम:-

(1) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम के अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी) का व्यवस्थापन:-

वर्ष 2022-23 में वर्ष 2021-22 की भांति ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के नये बंधित गोदामों का व्यवस्थापन, उत्तर प्रदेश आबकारी(विदेशी मदिरा) बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2011 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार किया जाएगा।

(2) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी) का नवीनीकरण:-

वर्ष 2021-22 में स्वीकृत बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी अनुज्ञापनों का, संबंधित अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2022-23 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों, प्रतिबंधों से सहमति की दशा में अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2022-23 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकेगा। नवीनीकरण हेतु वर्ष 2021-22 में निर्धारित की गयी व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

2.2.7 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी) हेतु प्रोसेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूति एवं अन्य व्यवस्थायें:-

(1) अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ वर्ष 2021-22 में रु.55,000/- प्रोसेसिंग फीस के रूप में निर्धारित थी जिसमें वृद्धि कर वर्ष 2022-23 हेतु रूपया 1,00,000/- निर्धारित किया जाता है।

(2) नवीनीकरण हेतु आवेदन करते समय नवीनीकरण फीस वर्ष 2022-23 में रूपया 1,00,000/- लिया जाएगा। नवीनीकरण की स्थिति में प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी।

(3) वर्ष 2022-23 हेतु उपरोक्त अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र.सं.	अनुज्ञापन का प्रकार	अनुज्ञापन का विवरण	वर्ष 2022-23 हेतु लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)	वर्ष 2022-23 हेतु प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

1	2	3	4	5
1.	BWFL-2A	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित विदेशी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	15.00	7.50
2.	BWFL-2B	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित बीयर की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	10.0	5.0
3.	BWFL-2C	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित वाइन की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	1.5	0.75
4.	BWFL-2D	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल.ए.बी. की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	1.5	0.75

(4) अन्य व्यवस्थायें:-

(क) यदि प्रदेश के बाहर की कोई इकाई प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाण्ड अनुज्ञापन लेना चाहे तो उसे विभिन्न जनपदों में अनुज्ञापन दिया जाएगा एवं इस निमित्त उससे प्रत्येक अनुज्ञापन हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस ली जाएगी।

अन्य अनुज्ञापनों से विक्रय किये जाने वाले ब्राण्ड्स, उनके लेबिलों एवं एम.आर.पी. का अनुमोदन संपूर्ण प्रदेश हेतु उत्पादक, बाटलिंग इकाई द्वारा एक बार ही कराया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि संपूर्ण प्रदेश के लिये ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबिल अनुमोदन फीस एक ही बार देय होगी।

(ख) गत वर्ष की भाँति मास्टर वेयरहाउस (Master Warehouse) पंजीकरण अनुमन्य होगा एवं वर्ष 2022-23 हेतु पंजीकरण फीस रु.1,00,000/- प्रति वेयरहाउस रखी जाती है। गत वर्ष पंजीकृत मास्टर वेयर हाउस वर्ष 2022-23 हेतु रूपया रु. 1,00,000/- नवीनीकरण फीस जमा करने पर आबकारी आयुक्त द्वारा उसके पंजीकरण का नवीनीकरण अनुमन्य किया जाएगा।

(ग) नवीनीकृत बाण्ड अनुज्ञापनों पर वर्ष 2021-22 में प्रतिफल शुल्क के मद में अग्रिम रूप से जमा और अनप्रयुक्त धनराशियों का वर्ष 2022-23 में अग्रणीत कर समायोजित किया जाएगा।

(घ) बाण्ड अनुज्ञापनों पर प्रदेश के बाहर से प्राप्त होने वाले परेषणों पर देय समस्त प्रकार के प्रतिफल शुल्क आदि, आयात परमिट प्राप्त करते समय अग्रिम रूप से जमा कराये जायेंगे।

2.2.8 (i) विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञापन फीस:-

वर्ष 2022-23 में बोतलों में आयातित विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञापन फीस रु.12/- प्रति बल्क लीटर लिया जाएगा। विदेशी मदिरा के बल्क में आयात पर (मिलेटी कैन्टीन या सी.एस.डी. लाइसेंसधारी को छोड़कर) रु.5/- प्रति बल्क लीटर आयात अनुज्ञापन फीस ली जाएगी।

(ii) विदेशी मदिरा की निर्यात पास फीस सिविल :-

विदेशी मदिरा का बल्क में निर्यात किये जाने पर निर्यात पास फीस वर्ष 2021-22 हेतु रु.3/- प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा का बोतलों में निर्यात किये जाने पर निर्यात पास फीस रु.1.50/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित है। वर्ष 2022-23 हेतु विदेशी मदिरा के बल्क निर्यात हेतु निर्यात पास फीस रु. 6/- तथा बोतलों में विदेशी मदिरा के निर्यात हेतु निर्यात पास फीस रु. 3/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2021-22 में भारतीय सेना को आपूर्ति की जाने वाली रियायती रम पर निर्यात पास फीस रुपये 1.00 प्रति ए.एल. निर्धारित है। जिसे वर्ष 2022-23 हेतु यथावत रखा जाता है।

2.2.9 विदेशी मदिरा की 90 एम.एल.व 60 एम.एल.की धारिता में आपूर्ति:-

वर्ष 2021-22 में प्रीमियम एवं उससे ऊपर की श्रेणियों की विदेशी मदिरा की बिक्री 60 एम.एल. एवं 90 एम.एल. की धारिता की बोतलों में शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में भी अनुमन्य है साथ ही रेगुलर श्रेणी में केवल 90 एम.एल. तक की धारिता की शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में अनुमन्य है। उक्त व्यवस्था को वर्ष 2022-23 में यथावत रखा जाता है।

2.2.10 बार एवं क्लब लाइसेंस तथा समारोह बार लाइसेंस :-

समस्त बार अनुज्ञापन उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसो की स्वीकृति) नियमावली, 2020(यथासंशोधित) के अनुसार संचालित एवं व्यवस्थित होंगे।

बार अनुज्ञापनों के श्रेणीकरण, लाइसेंस फीस एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में वर्ष 2021-22 में निर्धारित की गयी व्यवस्था वर्ष 2022-23 में यथावत रखी जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(ख) बार अनुज्ञापनों की अतिरिक्त कार्यावधि:-

बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली, 2020(यथासंशोधित) के नियम-24 के अनुसार होगी। गत वर्ष की भाँति अतिरिक्त लाइसेंस फीस के भुगतान पर 2022-23 हेतु निम्नानुसार कार्यावधि अनुमन्य की जाती है:-

- 1- नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्धनगर में स्थित बारों से रु.एक लाख पच्चीस हजार रुपये अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 1.00 बजे रात्रि तक।
- 2- नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्धनगर में स्थित होटल बार अनुज्ञापन परिसरों में मदिरा परोसने की अवधि रु.दो लाख पचास हजार अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर रात्रि 02 बजे तक।
- 3- तारांकित होटलों में रु.दो लाख पचास हजार प्रति 02 घन्टा की अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर रात्रि 04 बजे तक।

(ग) बार अनुज्ञापनों एवं माइक्रो ब्रिवरी का नवीनीकरण :-

1.वर्ष 2021-22 में बार, क्लब बार एवं माइक्रो ब्रिवरी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण संपूर्ण लाइसेंस फीस जमा किये जाने पर 03 वर्षों तक कराये जाने का भी विकल्प उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया था जिसे 2022-23 में यथावत रखा जाता है। माइक्रोब्रिवरी से 50 लीटर के ग्राउलर/केग(जिसमें कार्बन डाइआक्साइड टैंक लगा हो) में बीयर की बिक्री अनुमन्य जाती है जिसकी शेल्फ लाइफ 7 दिन होगी जिसका अंकन लेबिल में किया जाना अनिवार्य होगा। माइक्रोब्रिवरी में स्थापित टैंकों में संचित बीयर की शेल्फ लाइफ अधिकतम 15 दिन होगी।

2. ईज़ आफ इइंग बिजिनेस के दृष्टिगत माइक्रो ब्रिवरी का नवीनीकरण बार अनुज्ञापन के साथ सुगमता से कराने हेतु नवीनीकरण का अधिकार आबकारी आयुक्त से जिला कलेक्टर को प्रतिनिधायनित किये जाने का निर्णय लिया गया था जिसे वर्ष 2022-23 में यथावत रखा जाता है।

3. वर्ष 2022-23 में बार अनुज्ञापन एवं माइक्रो ब्रिवरी का अनुज्ञापन एक साथ आवेदित करने पर बार अनुज्ञापन एवं माइक्रोब्रिवरी की सम्मिलित लाइसेंस फीस में रु. 50,000/- की छूट प्रथमवर्ष में प्रदान की जायेगी।

2.3 वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (लो अल्कोहलिक बिवरेजेज़-एल.ए.बी.) पर प्रतिफल फीस एवं बिक्री की अनुमन्यता

2.3.1 वाइन:-

(क) वर्ष 2021-22 में भारत में निर्मित वाइन पर आयात शुल्क, रु.03/- प्रति ब.ली. निर्धारित है जिसे वर्ष 2022-23 में यथावत रखा जाता है।

(ख) वर्ष 2021-22 में भारत निर्मित वाइन और समुद्रपार आयातित वाइन पर प्रतिफल फीस रु.75/- प्रतिलीटर या एम. आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो परन्तु इसकी अधिकतम सीमा रु.1,000/- प्रति लीटर निर्धारित है। उक्त व्यवस्था वर्ष 2022-23 में यथावत रखी जाती है।

(ग) वर्ष 2021-22 में वाइन की बिक्री विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप से भी अनुमन्य की गयी जिसे वर्ष 2022-23 में यथावत रखा जाता है।

(घ) प्रदेश में वाइन उत्पादन को प्रोत्साहन

प्रदेश में वाइन का उत्पादन शून्य है एवं वाइन से वर्ष 2021-22 में अद्यतन प्राप्त आय मात्र 29.54 करोड़ है। प्रदेश में विगत कई वर्षों से फलों के उत्पादन में वृद्धि हुयी है। फल उत्पादक किसानों को उनके फल उत्पाद को नष्ट होने से बचाने एवं उनका सदुपयोग करने एवं प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में वाइन के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना है। इस हेतु उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी नियमावली, 1961 में कतिपय संशोधन किये जा रहे हैं। अतः उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी नियमावली, 1961(यथासंशोधित) के अनुसार द्राक्षासवनी की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

2.3.2 कम तीव्रता के मादक पेय, ऐल, पोर्टर, साइडर व अन्य फर्मेंटेड लिंकर:-

(क) वर्ष 2021-22 में उक्त मादकों के संबंध में भी ई.बी.पी. प्राप्त कर बीयर की भाँति एम.आर.पी. व प्रतिफल फीस का निर्धारण का प्राविधान था जिसे वर्ष 2022-23 में यथावत् बनाये रखा जाता है। वर्ष 2021-22 में उक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

मादकों की बिक्री बीयर विदेशी मदिरा एवं माडल शाप में अनुमन्य थी जिसे वर्ष 2022-23 में यथावत रखा जाता है।

2.4 बीयर

2.4.1 बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस:-

बीयर की फुटकर दुकान की वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस वर्ष 2021-22 की वार्षिक लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये, निर्धारित की जाती है। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रूपया 5000/- के गुणक में नहीं पायी जाती है तो उसे बढ़ाकर रूपया 5000/- के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित की जाएगी।

2.4.2 बीयर की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी.:-

वर्ष 2021-22 हेतु बीयर की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण 500 मि.लि. के केन में माइल्ड (5 प्रतिशत वी./वी. या उससे कम अल्कोहल की तीव्रता) एवं स्ट्रॉंग (5 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत वी./वी. अल्कोहल की तीव्रता तक) के लिये समान रूप से करते हुये किया गया जिसे वर्ष 2022-23 हेतु यथावत रखा जाता है।

वर्ष 2022-23 हेतु बीयर का प्रतिफल शुल्क एवं एम.आर.पी. आगणन निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

यवासवक द्वारा एक्स ब्रिवरी प्राइस (ई.बी.पी.) घोषित करने हेतु निर्धारित एक्स यवासवनी/ ब्राण्डधारक इकाई/एक्स सी.एस.डी. मूल्य प्रति केन 500 एम.एल. (रु.में) (EBP)	प्रतिफल फीस प्रति केन (500 मि.ली.) (रु.में) (D)	थोक विक्रेता का मार्जिन प्रति केन (500 मि.ली.) (रु.में)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन प्रति केन (500 मि.ली.) (रु.में)	अधिकतम फुटकर मूल्य प्रति केन (500 मि.ली.) MRP (रु.में) जिसे रु.10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में लिया जायेगा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शून्य से 30 तक	31+ई.बी.पी. का 90 प्रतिशत	1.25+ई.बी.पी. का 18 प्रतिशत	12.25+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग
30 से अधिक से 35 तक	31+ई.बी.पी. का 100 प्रतिशत	1.5+ई.बी.पी. का 2 प्रतिशत	15+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग
35 से अधिक	35+ई.बी.पी. का 100 प्रतिशत	1.5+ई.बी.पी. का 2 प्रतिशत	15+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग

शेष प्रक्रिया गत वर्ष की भांति रहेगी।

वर्ष 2022-23 में केग में बीयर की आपूर्ति हेतु 20, 30 एवं 50 लीटर की धारिताओं को अनुमन्य किया जाना प्रस्तावित है, जिनकी ई.बी.पी. यवासवक द्वारा पृथक से प्रस्तुत की जायेगी जिसके आधार पर उपरोक्तानुसार प्रतिफल शुल्क का आगणन किया जायेगा।

बीयर ब्राण्ड के मूल्य निर्धारण हेतु आसवनी/ब्राण्डधारक इकाई को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित ई.बी.पी. कास्ट एकाउटेन्ट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा प्रमाणित है, जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एवं बिहार (सम्प्रति बिहार में मद्यनिषेध है) में घोषित संबंधित ब्राण्ड या उसके सामानान्तर ब्राण्ड के लिये घोषित न्यूनतम ई.बी.पी. के समतुल्य अथवा उससे कम है।

विभिन्न प्रदेशों में ई.बी.पी. में सम्मिलित किये जाने वाले मदों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में लाइसेंस फीस, बॉटलिंग फीस, आयात फीस, ब्राण्ड पंजीकरण फीस, लेबुल अनुमोदन फीस, परमिट फीस, स्पेशल फीस आदि भिन्न है। अतः ई.बी.पी. का मिलान प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से करने हेतु इनका संज्ञान लिया जायेगा।

स्पेशल फीस एवं ट्रेक ऐण्ड ट्रेस क्रियान्वयन फीस ई.बी.पी. में सम्मिलित होगी।

2.4.3 बीयर से संबंधित अन्य व्यवस्थायें:-

(क) बीयर की शेल्फ लाइफ

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

वर्ष 2021-22 में प्रदेश में बिक्री हेतु आपूर्तित भारत निर्मित बीयर हेतु यवासवनी को इस आशय का प्रमाण-पत्र दिये जाने की स्थिति में कि उनका उत्पाद 10 माह तक उपभोग हेतु उपयुक्त है संबंधित ब्राण्ड की बीयर की शेल्फ लाइफ 9 माह तक अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया था जिसे वर्ष 2022-23 में यथावत रखा जाता है।

(ख) वर्ष 2021-22 में भारत निर्मित बीयर व लैब पर निर्धारित निर्यात/आयात शुल्क को वर्ष 2022-23 में निम्नानुसार रखा जाता है:-

क्र.सं.	शुल्क का प्रकार	वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित
1.	बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर निर्यात शुल्क	रु.2.50/- प्रति बल्क लीटर।
2.	बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क	ड्रॉट बीयर पर रु.1.00/- प्रति बल्क लीटर तथा ड्राट बीयर को छोड़कर अन्य बीयर पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर रु. 4.00/- प्रति बल्क लीटर।

2.4.4 अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीस:-

वर्ष 2021-22 में अन्य देशों से आयातित सभी तीव्रता की बीयर के लिये परमिट फीस की दर रूपया 150/- प्रति लीटर है जिसे वर्ष 2022-23 में यथावत रखी जाती है।

2.4.5 माइक्रो ब्रिवरी द्वारा उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दर:-

माइक्रो ब्रिवरी द्वारा उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दर वर्ष 2021-22 में रु.60/- प्रति ब.ली. थी जिसे वर्ष 2022-23 में रु.80/- प्रति ब.ली. निर्धारित किया जाता है।

2.5 माडल शॉप्स और प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स

2.5.1 माडल शॉप्स की लाइसेंस फीस:-

माडल शॉप्स की वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस वर्ष 2021-22 की वार्षिक लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रूपया 5,000/- के गुणक में नहीं पायी जाती है तो उसे बढ़ाकर रूपया 5,000/- के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित किया जायेगा। वर्ष 2021-22 में नवीनीकृत माडल शॉप की लाइसेंस फीस संबंधित प्रास्थिति, निकाय के लिये नवसृजित माडल शाप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम नहीं होने की व्यवस्था को समाप्त किया गया था। उक्त निर्णय वर्ष 2022-23 में यथावत रखा जाता है।

2.5.2 प्रीमियम रिटेल वेण्ड

(1) प्रीमियम रिटेल वेण्ड का नवीनीकरण

वर्ष 2021-22 में व्यवस्थित प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापनों का वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस पर नवीनीकरण कराया जाएगा। नवीनीकरण हेतु प्रासेसिंग फीस एवं नवीनीकरण फीस जमा करके इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी में प्रस्तुत किये जायेंगे। लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा 7 कार्यदिवस के अंदर प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर निर्णय लेते हुये उपयुक्त पाये जाने पर अनुज्ञापी को लाइसेंस फीस जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। प्रासेसिंग फीस एवं नवीनीकरण फीस विदेशी मदिरा दुकानों के समतुल्य होगी।

(2) लाइसेंस फीस

वर्ष 2021-22 में प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु रूपया बारह लाख लाइसेंस फीस निर्धारित थी जिसे वर्ष 2022-23 में रूपया बीस लाख निर्धारित किया जाता है।

(3) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर वोदका एवं रम 700 रूपये या अधिक एम.आर.पी. की ब्राण्ड और बीयर के 140 रूपये प्रति 500 एम.एल. केन के एम.आर.पी. या समतुल्य ब्राण्ड का बिक्री का प्राविधान है। इस श्रेणी की अन्य धारिताओं के अनुमन्यता के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वोदका एवं रम की प्रति बोतल एवं बीयर प्रति केन निर्धारित दरों पर जो ब्राण्ड अनुमन्य हैं उन ब्राण्डों की सभी धारितायें बिक्री के लिये अनुमन्य होंगी। प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु अनुमन्य अन्य श्रेणियों की मदिरा की समस्त धारिताओं की बिक्री भी अनुमन्य होगी।

(4) वर्ष 2022-23 में निम्न प्राविधान किया जाता है:-

(i) समस्त प्रकार के कम तीव्रता के मादक पेय(एल.ए.बी.) की बिक्री भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड में अनुमन्य होगी।

(ii) हवाई अड्डों पर भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुमन्य होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(iii) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर पृथक कक्ष में केवल वाइन टेस्टिंग अनुमन्य होगी और टेस्टिंग कक्ष में विक्रय प्रतिबंधित होगा।

(iv) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर मदिरा सेवन संबंधी एक्सेसरीज़ जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी, की बिक्री भी अनुमन्य होगी।

2.6 विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप में त्रैमासिक उठान की अनिवार्यता

2.6.1 वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण विदेशी मदिरा, बीयर दुकानों एवं माडल शाप्स के त्रैमासिक राजस्व पर असामान्य प्रभाव पड़े हैं। अतः विदेशी मदिरा, बीयर दुकानों एवं माडल शाप्स हेतु वर्ष 2022-23 में त्रैमासिक राजस्व के समतुल्य यथा स्थिति मदिरा अथवा बीयर अथवा मदिरा और बीयर के उठान की अनिवार्यता की व्यवस्था यथावत रखते हुये वर्ष 2022-23 हेतु मासिक राजस्व का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा:-

प्रत्येक विदेशी मदिरा, बीयर दुकान एवं माडल शाप द्वारा वर्ष 2019-20 वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में दुकान पर ली गयी मदिरा अथवा बीयर अथवा मदिरा एवं बीयर में सन्निहित कुल वार्षिक राजस्व का वार्षिक औसत आगणित किया जायेगा। इस प्रकार आगणित वार्षिक औसत राजस्व यदि वर्ष 2019-20 से कम आता है तब वर्ष 2019-20 के वार्षिक राजस्व को ही औसत वार्षिक राजस्व माना जायेगा। उपरोक्तानुसार आगणित वार्षिक औसत राजस्व को 12 से विभाजित कर वर्ष 2022-23 हेतु मासिक राजस्व का निर्धारण किया जायेगा और इसी के आधार पर वर्ष 2022-23 के प्रत्येक त्रैमास का राजस्व निर्धारित किया जायेगा। वर्ष 2021-22 में नवसृजित दुकानों हेतु इनके संचालन अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व के आधार पर अनुपातिक रूप से वार्षिक राजस्व का आकलन किया जायेगा और उपरोक्तानुसार वर्ष 2022-23 हेतु मासिक राजस्व का निर्धारण किया जायेगा। वर्ष 2020-21 में नवसृजित दुकानों हेतु वर्ष 2020-21 की संचालन अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व के आधार पर अनुपातिक रूप से वर्ष 2020-21 के वार्षिक राजस्व का आकलन किया जायेगा और वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 के कुल वार्षिक राजस्व के आधार पर औसत वार्षिक राजस्व का आकलन करते हुये उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार वर्ष 2022-23 हेतु मासिक राजस्व एवं त्रैमासिक राजस्व का निर्धारण किया जायेगा। दुकानों के संचालन अवधि हेतु नियमित व्यवस्थापन के फलस्वरूप किये गये संचालन की अवधि (दैनिक आधार पर संचालन अवधि को छोड़कर) को ही संज्ञान में लिया जायेगा तथा संचालन अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व के आधार पर अनुपातिक रूप से वार्षिक राजस्व का आंकलन किया जायेगा।

2.6.2 गत वर्ष की भाँति वर्ष 2022-23 में भी माडल शाप के त्रैमासिक राजस्व में विदेशी मदिरा तथा बीयर का राजस्व सम्मिलित माना जाएगा।

2.6.3 विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप पर वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में गत वित्तीय वर्ष के संगत त्रैमास में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व के समतुल्य निकासी लिया जाना अनिवार्य है। उक्त प्राविधान का पालन न किये जाने की स्थिति में यह निर्धारित किया जाता है कि संबंधित त्रैमास के बकाया राजस्व के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने हेतु 10 दिवस का अवसर दिया जायेगा और तत्पश्चात अतिरिक्त प्रतिभूति जमा न होने की स्थिति में अगले त्रैमास की निकासी रोक दी जायेगी और विलम्ब के लिये निर्धारित प्रशमन धनराशि जमा करने पर अगले त्रैमास में निकासी की अनुमति दी जायेगी और अगले त्रैमास हेतु निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी एवं पिछले त्रैमास तक के बकाया राजस्व के समतुल्य निकासी अनुज्ञापी द्वारा ली जा सकेगी। किसी त्रैमास तक निर्धारित कुल चलित राजस्व के समतुल्य निकासी ले लिये जाने पर पूर्व में जमा अतिरिक्त प्रतिभूति जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अन्य कोई बकाया न रहने की स्थिति में अविलम्ब वापस कर दी जायेगी। वित्तीय वर्ष के अंत तक यदि दुकान पर वार्षिक निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी लेने में अनुज्ञापी विफल रहता है तब उसके द्वारा जमा की गयी समस्त अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति में से बकाया राजस्व का समायोजन किया जायेगा और शेष धनराशि वापस की जायेगी। यदि उक्त समायोजन के पश्चात भी राजस्व का बकाया रहता है तब इसकी नियमानुसार वसूली की जायेगी।

2.7 समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की आपूर्ति

2.7.1 वर्ष 2021-22 में समुद्र पार आयातित मदिरा की आपूर्ति हेतु की गयी व्यवस्था वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित सीमा तक संशोधित किया जाता है:-

(1) आयातक इकाई का तात्पर्य वैध आयात/निर्यात प्रमाण पत्र(आई.ई.सी.) धारक किसी व्यक्ति अथवा इकाई से होगा। आयातक इकाई का विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

पंजीकरण के समय आयातक इकाई द्वारा विभागीय पोर्टल पर वांछित सूचनायें भरी जायेंगी। पंजीकरण आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग फीस रु.50,000/- ऑनलाइन जमा की जायेगी।

(2) एक बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन से मात्र एक कस्टम बाण्ड वेयर हाउस ही संबद्ध होगा। बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन की वार्षिक लाइसेंस फीस रु.5.00 लाख तथा प्रतिभूति रु.50,000/- निर्धारित की जाती है।

(3) समुद्रपार विदेशी मदिरा अथवा बीयर के परेषण छोटे होते हैं अतः कई गंतव्य स्थानों हेतु एक ही वाहन से परिवहन किये जाने की अनुमन्यता प्रदान की जाती है।

2.7.2 समुद्र पार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की एम. आर. पी. एवं परमिट फीस वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा और वाइन, की एम.आर.पी.का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

(1) एम.आर.पी.

सी.आई.एफ. मूल्य प्रति बोतल (750 एम.एल.)	लाभांश	कस्टम ड्यूटी	एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस	थोक विक्रेता का मार्जिन	फुटकर विक्रेता का मार्जिन	अधिकतम खुदरा मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	सी.आई.एफ. मूल्य का 150 प्रतिशत	1+2	विदेशी मदिरा के मामले में तालिका के अनुसार और वाइन के मामले में यथा आगणित	रु.5.00+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 3.00%	रु.90+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 10.00%	3+4+5+6+7 का योग (जिसे रु.10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त परमिट फीस के रूप में लिया जायेगा।)

घोषित सी.आई.एफ. मूल्य पंजीकरण के विगत 3 माह के औसत के आधार पर होगा। स्पेशल फीस एवं ट्रेक एण्ड ट्रेस क्रियान्वयन फीस एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य में सम्मिलित होगा।

(2) समुद्र पार आयातित विदेशी मदिरा की परमिट फीस

एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य प्रति बोतल (750 एम.एल.)	वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित परमिट फीस
रु. 0 से 600 तक	रु.400+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 40 प्रतिशत
रु.600 से अधिक से 1500 तक	रु.650+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 30 प्रतिशत
रु.1500 से अधिक से 3000 तक	रु.1000+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 20 प्रतिशत
रु.3000 से अधिक	रु.1500+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 10 प्रतिशत

(3) समुद्रपार आयातित बीयर, एवं एल.ए.बी. की एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नांकित तालिका के अनुसार किया जायेगा:-

सी.आई.एफ. मूल्य प्रति बोतल (750 एम.एल.)	लाभांश	कस्टम ड्यूटी	एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस	थोक विक्रेता का मार्जिन	फुटकर विक्रेता का मार्जिन	अधिकतम खुदरा मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	सी.आई.ए.फ. मूल्य का 150 प्रतिशत	1+2	यथा निर्धारित	आयातक द्वारा प्रस्तावित	आयातक द्वारा प्रस्तावित	3+4+5+6+7 का योग (जिसे रु.10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त परमिट फीस के रूप में लिया जायेगा।)

(4) यदि बी.आई.ओ.-1 द्वारा समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की बिक्री सीधे प्रीमियम रिटेल वेण्ड अथवा बार अनुज्ञापन को की जाती है तब एम.आर. पी. निर्धारण के अंतर्गत निर्धारित थोक विक्रेता के मार्जिन के समतुल्य धनराशि को प्रतिफल शुल्क के शीर्षक के अंतर्गत राजकोष में जमा कराया जाएगा।

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(5) नेपाल निर्मित बीयर एवं भूटान निर्मित मदिरा एवं बीयर के आयात को देश के अन्य राज्यों की भाँति आयात/निर्यात माना जाएगा।

2.8 भाग:-

2.8.1 लाइसेंस फीस

भाग की फुटकर दुकान की वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस वर्ष 2021-22 की वार्षिक लाइसेंस फीस पर 7.5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये रूपया 1000/- के अगले गुणक में निर्धारित की जाएगी। वर्ष 2021-22 में जिन भाग दुकानों का नियमित व्यवस्थापन नहीं हो सका उन्हें समाप्त किया जाएगा।

2.8.2 भाग की निर्यात फीस:-

वर्ष 2021-22 हेतु भाग के निर्यात पर रुपये 5/- प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात फीस निर्धारित है। वर्ष 2022-23 हेतु उक्त निर्यात फीस को रु.20/- प्रति किलोग्राम रखा जाता है।

2.8.3 भाग की थोक आपूर्ति:-

वर्ष 2021-22 में भाग की थोक आपूर्ति के संबंध में की गयी व्यवस्था को वर्ष 2022-23 में यथावत रखा जाता है।

2.9 देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भाग की फुटकर दुकानों और माडल शॉप का सृजन:-

2.9.1 वर्ष 2022-23 में, वर्ष 2021-22 में व्यवस्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शॉप एवं भाग की श्रेणीवार कुल दुकानों की संख्या के, 02 प्रतिशत तक के समतुल्य प्रत्येक श्रेणी में दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को दिया जाता है। इससे अधिक की आवश्यकता पड़ने पर शासन की अनुमति से नई दुकानों का सृजन किया जा सकेगा।

2.9.2 नवसृजित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर दुकानों का न्यूनतम एम.जी.क्यू./बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस:-

2.9.2.1 वर्ष 2022-23 हेतु नवसृजित देशी मदिरा की दुकानों का न्यूनतम एम.जी.क्यू. एवं नवसृजित विदेशी मदिरा, बीयर दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस वर्ष 2021-22 की भाँति निम्नवत् रखा जाता है:-

क्र.सं.	नवसृजित दुकान की प्रास्थिति	न्यूनतम एम.जी.क्यू. (36 प्रतिशत वी./वी.) (ब.ली.में)	न्यूनतम लाइसेंस फीस (रूपये में)	
		देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	बीयर
1.	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि तक	26,600	13,60,000	2,60,000
2.	नगर पालिका व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि तक	19,000	4,65,000	1,40,000
3.	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि.मी. की परिधि तक	11,500	2,25,000	85,000
4.	ग्रामीण	6,600	1,20,000	75,000

2.9.2.2 नवसृजित माँडल शॉप की लाइसेंस फीस:-

वर्ष 2022-23 हेतु नवसृजित माँडल शॉप्स की लाइसेंस फीस गतवर्ष की भाँति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	निकाय	लाइसेंस फीस (रूपये में)
1.	नगर निगमों एवं ग्रेटर नोयडा सहित नोयडा के लिये	न्यूनतम रु.65.00 लाख।
2.	अन्य स्थानों पर स्थित माँडल शॉप्स के लिये	न्यूनतम रूपये 22.00 लाख।

प्रतिभूति धनराशि विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की भाँति लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत निर्धारित जाती है।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मॉडल शॉप्स पर मदिरा पान की सुविधा अनुमन्य करने के लिये वर्ष 2021-22 हेतु रु.2,00,000/- वर्ष या वर्ष के भाग के लिये निर्धारित है। वर्ष 2022-23 के लिये उक्त सुविधा की अनुमन्यता हेतु रु.2,50,000/-की धनराशि निर्धारित की जाती है।

2.10 देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों और माडल शॉप का वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण:-

2.10.1 दुकानों का वर्ष 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जाएगा:-

1. अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।
2. वर्ष 2021-22 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।
3. देशी मदिरा एवं भांग की ऐसी दुकानें जिनके द्वारा वर्ष 2021-22 में नियमानुसार निर्धारित कुल एम. जी. क्यू. अथवा इससे अधिक की निकासी(बकाया निकासी जिसके समतुल्य कुल प्रतिफल शुल्क जमा किया गया हो, को सम्मिलित करते हुये) ली जायेगी, विदेशी मदिरा की ऐसी दुकानें जिनके द्वारा वर्ष 2021-22 में नियमानुसार निर्धारित कुल राजस्व के समतुल्य की निकासी अथवा इससे अधिक की निकासी ली जायेगी और ऐसी माडल शॉप जिनके द्वारा वर्ष 2021-22 में नियमानुसार निर्धारित कुल राजस्व के समतुल्य अथवा इससे अधिक की निकासी ली जायेगी, वर्ष 2022-23 हेतु नवीनीकरण के लिये अंतिम रूप से अर्ह होंगी। बीयर की वर्ष 2021-22 में व्यवस्थित समस्त दुकानें नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अर्ह होंगी।
4. नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी को रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-3) पर देना होगा।

2.10.2 देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों और माडल शॉप के वर्ष 2022-23 हेतु नवीनीकरण की प्रक्रिया

(क) सर्वप्रथम संबंधित जिला के जिला कलेक्टर, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और जिला की वेबसाइट पर संक्षिप्त विज्ञप्ति जिसका सामान्य प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, प्रकाशित कराकर जिला की व्यवस्थित दुकानों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि दुकानों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, जिला की वेबसाइट, ई-लाटरी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(ख) दुकानों के वर्ष 2021-22 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र जिसका प्रारूप संलग्नक-3 है, अपलोड किया जायेगा तथा प्रोसेसिंग फीस की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग फीस वर्ष 2022-23 हेतु निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

क्र.सं.	फुटकर दुकान का प्रकार	आवेदन की प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)
1.	देशी मदिरा	25,000/-
2.	विदेशी मदिरा	25,000/-
3.	बीयर	25,000/-
4.	माडल शॉप्स	35,000/-
5.	भांग	10,000/-

आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा की जा सकेगी।

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि समयान्तर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2021-22 की प्रतिभूति का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2022-23

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

की नवीनीकरण फीस व बेसिक लाइसेंस फीस/ लाइसेंस फीस (यदि जमा किया गया हो) राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी दुकान का वर्ष 2022-23 हेतु नवीनीकरण संपन्न होने के पश्चात वर्ष 2021-22 के अनुज्ञापन की शर्तों के उल्लंघन अथवा अन्य किसी अनियमितता से उस दुकान का अनुज्ञापन वर्ष 2021-22 निरस्त कर दिया जाता है तब उस दुकान के संबंध में वर्ष 2022-23 हेतु जमा बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति का अंतर(यदि जमा किया गया हो) राज्य सरकार के पक्ष में जब्त नहीं किया जायेगा।

2.10.3 नवीनीकरण फीस:-

वर्ष 2021-22 हेतु देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर तथा भांग की फुटकर दुकानों और माडल शाप की निर्धारित की गयी नवीनीकरण फीस को वर्ष 2022-23 में निम्नानुसार यथावत रखा जाता है:-

क्र.सं.	निकाय	नवीनीकरण फीस की दर प्रति दुकान (रुपये में)				
		देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	बीयर	माँडल शॉप्स	भांग
1.	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	95,000	95,000	70,000	1,00,000	6,000
2.	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	85,000	85,000	60,000	90,000	6,000
3.	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	65,000	65,000	40,000	65,000	6,000
4.	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	35,000	35,000	20,000	50,000	6,000

2.11 ई-लाटरी द्वारा दुकानों का व्यवस्थापन

2.11.1 (क) नवीनीकरण से अवशेष देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों तथा माँडल शॉप्स का वर्ष 2022-23 हेतु व्यवस्थापन ई-लाटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। ई-लाटरी का प्रथम चरण (नवीनीकरण से अवशेष समस्त दुकानों हेतु) वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू./लाइसेंस फीस पर होगा। ई-लाटरी का द्वितीय चरण (ई-लाटरी के प्रथम चरण के पश्चात व्यवस्थापन हेतु अवशेष समस्त दुकानों हेतु) भी वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू./लाइसेंस फीस पर होगा।

राजस्व एवं व्यवस्थापन हेतु प्रथम चरण की ई-लाटरी के पश्चात यथावश्यकता तदनुसार प्रत्येक चरण हेतु ई-लाटरी/ई-टेण्डर एवं इस हेतु एम.जी.क्यू./ लाइसेंस फीस निर्धारण के संबंध में पृथक शासनादेश निर्गत किया जाएगा।

गत वर्ष की भांति वर्ष 2022-23 हेतु ई-लाटरी में किसी आवेदक को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माँडल शॉप को मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी, प्रतिबंध यह होगा कि यदि किसी को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021-22 में दो अथवा इससे अधिक दुकानें आवंटित अथवा नवीनीकृत थीं तब उनका वर्ष 2022-23 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकता है। अग्रेतर प्रतिबंध यह होगा कि यदि आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में दो या दो से अधिक दुकानों का नवीनीकरण करा लिया गया है तो वह अवशेष रिक्त दुकानों के चयन हेतु ई-लाटरी/ई-टेण्डर हेतु अर्ह नहीं होगा। ऐसे आवेदक को प्रदेश में कोई अन्य दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। अनुज्ञापनी की मृत्यु के फलस्वरूप विधिक वारिस के पक्ष में अनुज्ञापन के नामांतरण वाले मामलों में उक्त प्रतिबंध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

चयनोपरांत चयनित आवेदक द्वारा देय बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि एवं अन्य देय धनराशियाँ भी ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदित दुकान की धरोहर धनराशि का मूल बैंक ड्राफ्ट आवेदक द्वारा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। चयन की स्थिति में पूर्ण रुपेण देयतायें जमा करने पर और दुकान आवंटित न होने पर धरोहर धनराशि का मूल बैंक ड्राफ्ट अनुज्ञापनी/ आवेदक को 15 दिन के अन्दर निर्धारित प्रक्रियानुसार वापस कर दिया जाएगा।

ई-लाटरी का प्रत्येक चरण सम्पूर्ण प्रदेश में एक ही दिन कराया जाएगा। ई-लाटरी प्रणाली से दुकानों का व्यवस्थापन गत वर्ष की भांति एन.आई.सी. के माध्यम से कराया जाएगा। ई-लाटरी से संबंधित सुसंगत सूचना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

को आबकारी विभाग की वेबसाइट के अतिरिक्त प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) ई-टेण्डर के अंतिम चरण के पश्चात कुल अव्यवस्थित एम.जी.क्यू. अथवा लाइसेंस फीस के व्यवस्थापन हेतु जिला में आवश्यक नयी दुकानों का सृजन कर कुल अव्यवस्थित एम.जी.क्यू. अथवा लाइसेंस फीस को व्यवस्थित कराने हेतु अगेतर चरण का व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(ग) नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।

(घ) दुकानों को दैनिक आधार पर चलाया जाना:-

फुटकर दुकानों के दैनिक आधार पर संचालन के संबंध में वर्ष 2021-22 की व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

(ङ) दुकानों का मध्य सत्र में व्यवस्थापन/पुनर्व्यवस्थापन:-

दुकानों के मध्य सत्र में पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में वर्ष 2021-22 में लागू व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

(च) प्रतिभूति की धनराशि/प्रतिभूति की धनराशि के अंतर को जमा किये जाने की प्रक्रिया:-

वर्ष 2022-23 हेतु प्रतिभूति/ प्रतिभूति के अंतर की धनराशि सावधि जमा रसीद अथवा बैंक गारण्टी अथवा नगद जमा के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा। पूर्व में अन्य प्रकार से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी जब तक उसकी वापसी न कर दी गयी हो।

(छ) अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण:-

(1) वर्ष 2022-23 में मदिरा की फुटकर दुकानों के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र तथा आयकर रिटर्न का विवरण तथा धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) देशी मदिरा की दुकान के लिये दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस के योग की धनराशि के 1/6 भाग के समतुल्य तथा विदेशी मदिरा, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॉप्स के लिये दुकान की लाइसेंस फीस की धनराशि के अन्यून धनराशि का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूलरूप में) वांछित होगा तथा चयन होने की दशा में इसे मूल रूप में प्राप्त करने के उपरान्त ही अनुज्ञापन निर्गत किया जाएगा। दिनांक 01.01.2021 के पश्चात निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। यदि हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति किसी अन्य जिला के आबकारी कार्यालय में जमा है तब इसकी प्रमाणित छाया प्रति, जिसे मूल प्रति प्राप्तकर्ता जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शपथ-पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(4) वर्ष 2022-23 हेतु नवीनीकृत होने वाली दुकानों के संबंध में वर्ष 2021-22 हेतु व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये हैसियत प्रमाण-पत्र, वैधता समाप्त न हो तो मान्य होंगे। वैधता समाप्त होने की स्थिति में नया हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.12 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) का नवीनीकरण

2.12.1 वर्ष 2021-22 में स्वीकृत थोक अनुज्ञापनों के इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष 2022-23 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों एवं प्रतिबंधों से सहमति की दशा में अपने थोक अनुज्ञापनों का वर्ष 2022-23 हेतु नवीनीकरण गत वर्ष की भांति अनुमन्य किया जाता है।

वर्तमान वर्ष 2021-22 में स्वीकृत थोक अनुज्ञापनों को निम्नांकित शर्तों के अधीन 2022-23 हेतु नवीनीकृत किया जाएगा:-

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2021-22 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) अनुज्ञापी के विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2021-22 में न पायी गयी हो।

(4) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित समस्त देयतायें देने को तैयार है तथा उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चौहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उक्त थोक अनुज्ञापन के लिये आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है। वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2022 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा शपथ पत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2021-22 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2022-23 की नवीनीकरण फीस एवं लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2021-22 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

गतवर्ष की भांति थोक अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु संबंधित उप आबकारी आयुक्त प्रभार तथा उसके अनुमोदन हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त संबंधित जोन को प्राधिकृत किया जाता है।

2.12.2 देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर के थोक अनुज्ञापनों एवं बाण्ड अनुज्ञापनों के नवीनीकरण की प्रक्रिया:-

(1) सर्वप्रथम आबकारी आयुक्त द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और वेबसाइट पर सक्षिप्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर प्रदेश में व्यवस्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, और बीयर के थोक अनुज्ञापनों एवं बाण्ड के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि उक्त अनुज्ञापनों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण आबकारी आयुक्त कार्यालय, एवं विभागीय पोर्टल से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(2) थोक अनुज्ञापनों अथवा बाण्ड अनुज्ञापनों के वर्ष 2021-22 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र जिसका प्रारूप **संलग्नक-4** है एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड किया जायेगा तथा नवीनीकरण शुल्क की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 07 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को संबंधित अनुज्ञापन की वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा स्वीकृति की तिथि से 15 दिन तक जमा की जा सकेगी।

(3) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि समयांतर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2021-22 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2022-23 की नवीनीकरण फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

2.12.3 थोक अनुज्ञापनों(सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी) की प्रासेसिंग फीस

गत वर्ष की भांति 2022-23 हेतु थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी) हेतु आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस रूपया 1,00,000/- निर्धारित की जाती है।

2.12.4 थोक अनुज्ञापनों(सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की नवीनीकरण फीस

वर्ष 2022-23 हेतु थोक अनुज्ञापनों(सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की नवीनीकरण फीस रूपया 1,00,000/- निर्धारित की जाती है। थोक अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी।

2.12.5 थोक अनुज्ञापनों(सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की स्वीकृति

वर्ष 2022-23 हेतु थोक अनुज्ञापनों की स्वीकृति संगत नियमावली के प्राविधानों के अनुसार अर्ह आवेदकों के पक्ष में की जायेगी।

गत वर्ष की भांति आवेदक को वैध हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। थोक अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने अथवा वापस लिये जाने एवं इस संबंध में जमा की गयी धनराशियों की वापसी के अनुरोध मान्य नहीं होंगे।

2.12.6 थोक अनुज्ञापनों(सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की लाइसेंस फीस और प्रतिभूति

थोक अनुज्ञापनों की वर्ष 2021-22 की लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि कर रूपया एक लाख के निकटतम गुणक तक बढ़ाते हुये 2022-23 हेतु थोक अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र.सं.	थोक अनुज्ञापन का प्रकार	जिला का नाम जहाँ स्वीकृत होगा।	वर्ष 2021-22 हेतु अनुज्ञापन शुल्क (रूपये में)
1	सी.एल.-2	चित्रकूट, बागपत, बलरामपुर, हाथरस, शामली, कौशाम्बी	9,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2	सी.एल.-2	अमेठी, श्रावस्ती	13,00,000
3	सी.एल.-2	अन्य जिला	25,00,000
4	एफ.एल.-2	वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मथुरा	33,00,000
5	एफ.एल.-2	गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, बिजनौर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद।	26,00,000
6	एफ.एल.-2	उपरोक्त जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिला	19,00,000
7	एफ.एल.-2बी	कौशाम्बी, श्रावस्ती, पीलीभीत, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, अम्बेडकरनगर, बहराइच, बलरामपुर, एटा, हाथरस, कन्नौज, औरिया, रामपुर, संभल, शाहजहाँपुर एवं शामली।	6,00,000
8	एफ.एल.-2बी	सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, संतरविदासनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, संतकबीरनगर, अमेठी, हरदोई, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, बदायूँ, अमरोहा, बागपत, बांदा, जालौन, ललितपुर।	9,00,000
9	एफ.एल.-2बी	उपरोक्त जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिला	13,00,000

प्रतिभूति धनराशि लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

2.12.7 सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ. एल.-2 बी अनुज्ञापनों से अन्य जिला की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीस:-

देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये अन्य जिला के सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ. एल.-2 बी अनुज्ञापनी से आपूर्ति के संबंध में वर्ष 2020-21 में की गयी व्यवस्था को वर्ष 2022-23 हेतु यथावत रखा जाता है।

2.13 ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन

2.13.1 ब्रांड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन/नवीनीकरण के संबंध में वर्ष 2021-22 में लागू व्यवस्था को वर्ष 2022-23 में यथावत रखा जाता है।

2.13.2 ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन फीस

वर्ष 2022-23 हेतु ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	मदिरा का प्रकार	ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस (रुपये में)	लेबुल अनुमोदन फीस (रुपये में)
1.	देशी मदिरा	1,00,000	1,00,000
2.	भारत निर्मित मदिरा		
	क विदेशी मदिरा	1,25,000	1,25,000
	ख बीयर	75,000	75,000
	ग वाइन	10,000	10,000
	घ एल.ए.बी.	10,000	10,000
3.	अन्य देशों से आयातित मदिरा		
	क विदेशी मदिरा	1,50,000	लेबुल अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
	ख बीयर	75,000	
	ग वाइन	10,000	
	घ एल.ए.बी.	10,000	
4.	अन्य देशों, प्रदेशों को निर्यातित मदिरा		
	क विदेशी मदिरा	ब्राण्ड पंजीकरण की	6,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

ख	बीयर	आवश्यकता नहीं है	6,00,000
ग	वाइन		1,00,000
घ	एल.ए.बी.		6,00,000

ब्राण्ड एवं लेबुल के नवीनीकरण हेतु भी उपरोक्तानुसार फीस ली जाएगी।

2.14 विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का आरोपण

वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी की रोक-थाम हेतु राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु राजकोष के अतिरिक्त वित्त पोषण हेतु देशी मदिरा /विदेशी मदिरा/बीयर /वाइन/एल.ए.बी./समुद्रपार आयातित मदिरा पर मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य के ऊपर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क अधिरोपित करते हुए अधिकतम फुटकर मूल्य का पुनर्निर्धारण किये जाने की शासनादेश संख्या:38/2020/770 ई-2/तेरह-2020-01/2020 दिनांक 06 मई, 2020 सम्पठित शासनादेश संख्या: 51/2020/1359 ई-2/तेरह-2020-01/2020 दिनांक 16 जून, 2020 द्वारा व्यवस्था लागू की गयी थी। कतिपय पड़ोसी राज्यों द्वारा उपरोक्त कोविड सेस को वापस ले लिया गया है अथवा दरों में कमी की गयी है। कतिपय श्रेणियों में विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की दरें अधिक होने से अधिकतम फुटकर मूल्यों में पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक होने से राजस्व कुप्रभावित होने की संभावना है। विशेष अतिरिक्त प्रतिफलशुल्क से देशी मदिरा, वाइन, एल.ए.बी. एवं समुद्रपार आयातित मदिरा की दरों में अधिक वृद्धि होने के कारण इन पर आरोपित विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क को युक्ति-युक्त किया जाएगा। साथ ही देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. को विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के आरोपण से मुक्त किया जाता है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव के संबंध में शासनादेश निर्गत होने की स्थिति में देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. पर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का आरोपण पुनः किया जा सकेगा।

उक्त के क्रम में वर्ष 2022-23 में विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की दरों को निम्नांकित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है:-

विदेशी मदिरा

क्र. सं.	विदेशी मदिरा की श्रेणी	बोतलों की धारिता (एम.एल. में)	प्रस्तावित विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	इकोनामी	180 एम.एल. तक 180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम 500 एम.एल. या उससे अधिक	10/- 20/- 30/-
2	मीडियम	180 एम.एल. तक 180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम 500 एम.एल. या उससे अधिक	10/- 20/- 30/-
3	रेगुलर	180 एम.एल. तक 180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम 500 एम.एल. या उससे अधिक	20/- 30/- 50/-
4	प्रीमियम	180 एम.एल. तक 180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम 500 एम.एल. या उससे अधिक	20/- 30/- 50/-
5	सुपर प्रीमियम	180 एम.एल. तक 180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम 500 एम.एल. या उससे अधिक	30/- 50/- 100/-
6	स्काच	180 एम.एल. तक 180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500	50/- 100/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		एम.एल. से कम	
		500 एम.एल. या उससे अधिक	150/-
7	समुद्रपार आयातित	200 एम.एल. तक	70/-
		200 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	140/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	200/-

बीयर

क्र. सं.	बीयर की श्रेणी	बोतलों/केनों की धारिता (एम.एल. में)	प्रस्तावित विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	स्ट्रांग/लैगर	500 एम.एल. तक	10/-
		500 एम.एल. से अधिक	20/-
		10 लीटर केग	200/-
		20 लीटर केग	400/-
		20 लीटर से अधिक केग	600/-
2	समुद्र पार आयातित	500 एम.एल. तक	10/-
		500 एम.एल. से अधिक	20/-
		10 लीटर केग	200/-
		20 लीटर केग	400/-
		20 लीटर से अधिक केग	600/-

वाइन/एल.ए.बी.(भारत निर्मित एवं समुद्र पार आयातित)

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	बोतलों की धारिता (एम.एल. में)	प्रस्तावित विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वाइन	500 एम.एल. तक	10/-
		500 एम.एल. से अधिक	20/-
2	एल.ए.बी.	500 एम.एल. तक	10/-
		500 एम.एल. से अधिक	20/-

आबकारी नीति के अनुसार विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. इत्यादि के निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य के अतिरिक्त उपरोक्त विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क आरोपित होगा तथा तदनुसार अधिकतम फुटकर मूल्य का पुनर्निर्धारण किया जायेगा।

5.15 अन्य

2.15.1 (क) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों, मॉडल शॉप्स एवं प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स से बिक्री का समय:-

वर्ष 2021-22 के लिये देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप्स के खुलने/बिक्री का समय प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक है जिसे वर्ष 2022-23 में यथावत् बनाये रखा जाता है।

(ख) वर्ष 2022-23 हेतु एफ.एल.-16 अनुज्ञापनों का वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क रू.50,000/- तथा एफ.एल.-17 अनुज्ञापनों का वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क रू. 25,000/- निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। नवीनीकरण की स्थिति में भी उपरोक्त दर से अनुज्ञापन शुल्क जमा कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(ग) प्रदेश में विकृत सुरा अथवा विशेष विकृत सुरा की उपलब्धता न होने की स्थिति में ही इनके आयात की अनुमति आबकारी आयुक्त द्वारा दी जायेगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।

(घ) आसवनियों द्वारा सी हैवी शीरे /बी हैवी शीरे /केन जूस से उत्पादित अल्कोहल के भण्डारण हेतु प्रयोग में लाये जा रहे टैंकों के आपस में परिवर्तन की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु रू.2,500/- प्रासेसिंग फीस ली जाएगी।

(ङ) एथेनाल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आयल मिक्सिंग डिपोज़ को एथेनाल की आपूर्ति के लिये परमिट प्राप्त करने हेतु आनलाइन प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु रू.1,000/- प्रासेसिंग फीस ली जाएगी।

(च) यू.पी.एम.एल. की आपूर्ति में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों में यू.पी.एम.एल. की भराई हेतु बाटलिंग लाइन/लाइनों के निर्धारण का अधिकार आबकारी आयुक्त को दिया जाता है।

(छ) प्रत्येक बाटल/टेटा पैक पर 1 से.मी. X 1से.मी. पर स्पष्ट दृश्यमान उसकी तीव्रता एवं एम.आर.पी. अंकित जाएगी।

2.15.2 अवशेष स्टॉक का निस्तारण:-

वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर जिलों के विभिन्न अनुज्ञापनों पर दिनांक 31.03.2022 को बिक्री अवधि के पश्चात अवशेष स्टॉक की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकेजिंगवार घोषणा अनुज्ञापनी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी/संबंधित प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त के समक्ष दिनांक 01.04.2022 को दोपहर 12:00 बजे तक रु.100/- के नॉनजुडीशियल नोटाराइज्ड स्टाम्प पेपर पर की जायेगी तथा इस अवशेष स्टॉक की सूचना जिला आबकारी अधिकारी/संबंधित प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक आयुक्तालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार घोषित अवशेष स्टॉक का निस्तारण शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। घोषित अवशेष स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर घोषित स्टॉक से 1 प्रतिशत से अधिक का विचलन (जिसकी अधिकतम सीमा 1 पेटी होगी) पाये जाने पर एवं अवशेष स्टॉक के निस्तारण में कोई अनियमितता पाये जाने की स्थिति में लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मदिरा के अवशेष स्टॉक का स्टॉक रजिस्टर पृथक से बनाया जायेगा जिसका निरीक्षण/अनुश्रवण उसके द्वारा प्रस्तुत इण्डेण्ट और अनुज्ञापनी द्वारा किये गये उपभोग के आंकड़ों का मिलान आबकारी निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त अवशेष स्टॉक को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2022 को अनुज्ञापनों की संचालन अवधि के पश्चात इन पर उपलब्ध अवशेष मदिरा के स्टॉक के निस्तारण के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया लागू होगी:-

2.15.2.1 देशी मदिरा:-

1. देशी मदिरा की फुटकर दुकानों पर दिनांक 01.04.2022 को उपलब्ध अवशेष देशी मदिरा स्टॉक को उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

2. वर्ष 2021-22 में व्यवस्थित देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों सी.एल.-2 पर उपलब्ध क्यू.आर.कोड युक्त अवशेष स्टॉक को वर्ष 2022-23 हेतु व्यवस्थित जिला के किसी थोक अनुज्ञापन पर सुरक्षित रखते हुये इसकी इसकी नीलामी वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति के अनुसार की जायेगी।

3. देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों में उपलब्ध देशी मदिरा के ऐसे अवशेष स्टॉक जिस पर बार कोड एवं क्यू.आर. कोड लगे हैं तथा वर्ष 2021-22 का निर्धारित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क एवं अन्य देय शुल्क आदि जमा नहीं हुआ है की री-बाटलिंग सहित वर्ष 2022-23 के इस हेतु निर्गत विशेष बारकोड, क्यू.आर. कोड भी चस्पा करते हुये वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क तथा अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क एवं अन्य देय शुल्क के योग की धनराशि जमा कराकर इसकी बिक्री अनुमन्य होगी।

2.15.2.2 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी.:-

1. विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर दुकानों, मॉडल शॉप्स, प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स एवं समस्त थोक और बाण्ड अनुज्ञापनों जिनका वर्ष 2022-23 हेतु नवीनीकरण नहीं हुआ है, पर उपलब्ध अवशेष स्टॉक उप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

2. वर्ष 2021-22 की समाप्ति के पश्चात बार एवं क्लब अनुज्ञापनों में भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, समुद्रपार आयातित मदिरा के अवशेष स्टॉक पर प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग के अंतर की धनराशि जमा कराकर अवशेष स्टॉक का निस्तारण करने हेतु 31.03.2023 तक समय प्रदान किया जायेगा।

3. उक्त के अतिरिक्त 2022-23 हेतु नवीनीकृत विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों, प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स एवं मॉडल शॉप एवं बाण्ड अनुज्ञापनों पर उपलब्ध अवशेष स्टॉक के निस्तारण के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जाती है:-

(1) वर्ष 2021-22 की समाप्ति के पश्चात् अवशेष जिन ब्राण्डों का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2022-23 हेतु होगा उन ब्राण्डों पर यदि वर्ष 2022-23 में कुल प्रतिफल फीस, एम.आर.पी. में कमी होती है तो उक्त स्टॉक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय दिनांक 31.03.2022 तक किया जायेगा।

(2) जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2022-23 हेतु करा लिया जाता है, उन ब्राण्डों पर यदि कुल प्रतिफल फीस, एम.आर.पी. में वृद्धि होती है तो कुल प्रतिफल फीस के अंतर की धनराशि जमा करायी जायेगी तथा उक्त स्टॉक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय दिनांक 31.03.2022 तक किया जायेगा।

(3) जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2022-23 हेतु नहीं कराया जाता है, उन ब्राण्डों की प्रतिफल फीस, एम.आर.पी. उनकी वर्ष 2021-22 के लिये घोषित ई.डी.पी./ई.बी.पी. पर वर्ष 2022-23 के नये सूत्र के अनुसार निर्धारित की जायेगी तथा अवशेष स्टॉक(थोक अनुज्ञापनों एवं बाण्ड-अनुज्ञापनों को छोडकर) का निस्तारण दिनांक 31.03.2023 तक निम्नवत् किया जायेगा:-

(i) नये सूत्र के अनुसार प्रतिफल फीस, का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. की धनराशि में कमी होती है तो उक्त स्टॉक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(ii) नये सूत्र के अनुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. दोनों में वृद्धि होती है तो कुल प्रतिफल फीस के अंतर की धनराशि जमा कराकर उक्त स्टॉक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(iii) नये सूत्र के अनुसार कुल प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस में कमी होती है, किन्तु एम.आर.पी. में वृद्धि होती है, तब वर्ष 2021-22 की एम.आर.पी. पर ही बिक्री की जायेगी।

(iv) नये सूत्र के अनुसार कुल प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस में वृद्धि होती है, किन्तु एम.आर.पी. में वृद्धि नहीं होती है, तब कुल प्रतिफल फीस के अंतर की धनराशि जमा कराकर तथा अंतर की धनराशि के समतुल्य एम.आर.पी. में वृद्धि करके उक्त स्टॉक पर नयी एम.आर.पी. का स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(v) दिनांक 31.03.2023 के पश्चात उपलब्ध अवशेष स्टॉक उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

(4) कुल प्रतिफल शुल्क के आगणन हेतु प्रतिफल शुल्क, अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क एवं विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सम्मिलित किया जायेगा।

2.15.3 विदेशी मदिरा उत्पादक आसवनियों के एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए, एफ.एल.-3 एवं एफ.एल.-3ए अनुज्ञापनों तथा एफ.एल.-2ए, एफ.एल.-2, एफ.एल. 2बी, बी.आई.ओ.-1, एफ.एल.-9 एवं एफ.एल.-9ए अनुज्ञापनों पर भी उपरोक्त प्राविधान लागू होंगे।

2.15.4 अवशेष स्टॉक के निस्तारण के संबंध में उपरिवर्णित स्थितियों के अतिरिक्त उत्पन्न अन्य प्रकरणों में निर्णय हेतु आबकारी आयुक्त को प्राधिकृत किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2.16 ईज़ आफ ड्रइंग बिज़नेस:-

(1) बाण्ड अनुज्ञापनों, यवासवनियों एवं आसवनियों, अनुज्ञापनों पर आगामी वर्ष हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाइन का अग्रिम भण्डारण किया जाना:-

(क) वर्ष के प्रारम्भिक माहों में विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाइन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अग्रिम भण्डारण की सुविधा, गत वर्ष की भाँति, अनुमन्य किया जाता है। बाण्ड अनुज्ञापनों एवं आसवनियों/यवासवनियों पर वर्ष 2022-23 हेतु विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाइन के अग्रिम भण्डारण की अनुमति दिनांक 15.02.2022 से प्रदान की जाएगी।

(ख) प्रदेश की आसवनियों/यवासवनियों/बाण्ड अनुज्ञापनों/ एफ.एल.-1/1ए को वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रारम्भिक 3 माह की अवधि हेतु मदिरा/बीयर आदि के अग्रिम भण्डारण हेतु यथावश्यकता अतिरिक्त अस्थाई गोदाम परिसर रूपया 1,00,000/- के भुगतान पर आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(2) फुटकर दुकानों में परस्पर मासिक एम.जी.क्यू. अथवा निर्धारित त्रैमासिक राजस्व का अंतरण:-

उक्त के संबंध में वर्ष 2021-22 में की गयी व्यवस्था के स्थान पर निम्नांकित संशोधित व्यवस्था लागू की जाती है:-

किसी भी जिला की देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर दुकान और माडल शॉप द्वारा अपनी दुकान हेतु निर्धारित मासिक एम.जी.क्यू. अथवा निर्धारित त्रैमासिक राजस्व के समतुल्य निकासी के 20 प्रतिशत से अनधिक अंश को संबंधित जिला की किसी अन्य दुकान या दुकानों को आपसी सहमति से तदनुसार जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर स्वीकृति प्राप्त कर स्थानांतरित कराया जा सकेगा। जिस दुकान से एम.जी.क्यू. अथवा राजस्व स्थानांतरित होगा उस दुकान पर समतुल्य निकासी ली गयी होना माना जायेगा परन्तु एम.जी.क्यू. अथवा राजस्व का स्थानांतरण प्राप्त करने वाली दुकान हेतु निर्धारित मासिक एम.जी.क्यू. अथवा निर्धारित त्रैमासिक राजस्व के समतुल्य निकासी में स्थानांतरित एम.जी.क्यू. अथवा राजस्व का समायोजन नहीं किया जायेगा।

(3) वर्ष 2021-22 में समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा एवं भारत निर्मित स्काच श्रेणी की विदेशी मदिरा की ऐसी बोतलों जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य रु.2,000/- अथवा अधिक हो, के मोनोकार्टन को ही एक सील्ड पेटी अवधारित करते हुये बोतल एवं सील्ड पेटियों हेतु निर्धारित सुरक्षा कोड चस्पा किये जाने के उपरान्त बिक्री अनुमन्य की गयी है। उक्त व्यवस्था को वर्ष 2022-23 में यथावत रखा जाता है।

(4) मदिरा के परिवहन पासों का ऑनलाइन सत्यापन मदिरा प्राप्ति साक्ष्य के रूप में पर्याप्त माना जाएगा। पासों का मैनुअल पद्धति से सत्यापन एवं आपसी की व्यवस्था समाप्त किया जाता है।

(5) वर्तमान में प्रदेश में अवस्थित समस्त उत्पादन इकाइयों पर मदिरा/अल्कोहल की तीव्रता की माप पुरानी प्रचलन विधि हाइड्रोमीटर द्वारा की जा रही है। मदिरा/अल्कोहल की तीव्रता की माप में नवीन तकनीक का उपयोग किया जाना समय की मांग है। उपरोक्त के दृष्टिगत विभाग की प्रयोगशालाओं में तथा आसवनियों में एन.ए.बी.एल. द्वारा प्रमाणित/ मानकीकृत डिजिटल एल्कोहल मीटर का प्रयोग अनिवार्य किया जाता है।

(6) बाण्ड अनुज्ञापनों/आसवनियों/यवासवनियों से एक वाहन के माध्यम से किसी एक जिले के एक से अधिक थोक अनुज्ञापनों को एक श्रेणी की मदिरा के पारेषण अनुमन्य किये जायेंगे। मदिरा के पारेषणों से संबंधित वाहनों का अधिकतम पे-लोड परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिकतम पे-लोड के अनुसार होगा।

(7) बाण्ड अनुज्ञापनों/आसवनियों/यवासवनियों/चीनी मिलों आदि हेतु विहित पंजिकाओं में भरी जाने वाली सूचनायें विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध हैं जिनको पुनः विभागीय पंजिकाओं में मैनुअली भरे जाने में संसाधन एवं समय का अपव्यय होता है अतः विहित पंजिकाओं को आनलाइन भरे जाने की व्यवस्था की जाती है।

(8) वर्ष 2022-23 की आपूर्ति हेतु उत्पादन प्रारम्भ किये जाने एवं पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत वर्ष 2021-22 हेतु आपूर्ति से संबंधित इण्डेण्टों को लगाने की कट-आफ तिथि एवं वर्ष 2022-23 का उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि आबकारी आयुक्त द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(9) निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा हेतु वैयक्तिक होम लाइसेंस

अधिसूचना संख्या 838 / तेरह-2010-25/2010 दिनांक 08.04.2010 द्वारा शासन ने प्रदेश सीमा के अन्दर मदिरा की फुटकर बिक्री की सीमा निर्धारित की है। पृथक से किसी व्यक्ति के निजी प्रयोग हेतु मदिरा रखने हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अतः वर्ष 2021-22 में निजी प्रयोग हेतु व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने हेतु वैयक्तिक होम लाइसेंस दिया जाएगा। मदिरा की मात्रा एवं शर्तों का निर्धारण संलग्नक-5 के अनुसार किया जाएगा। वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस रूपया 11,000/- एवं प्रतिभूति धनराशि रूपया 25,000/- निर्धारित की जाती है। प्रतिभूति धनराशि जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड सावधि जमा रसीद के रूप में देय होगी। यदि कृषि आय के कारण 20 प्रतिशत आयकर के स्लैब में आने के बावजूद किसी आवेदक पर कर की देयता नहीं बनती हो तब ऐसा आवेदक भी उक्त लाइसेंस हेतु अर्ह होगा।

2.17 ट्रेक एण्ड ट्रेस प्रणाली:-

(1) सम्प्रति उत्पादन से लेकर फुटकर दुकानों तक मदिरा की आपूर्ति ट्रेक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत की जा रही है, परन्तु फुटकर दुकानों से बिक्री को पी.ओ.एस. मशीन से स्कैन कराकर बिक्री कराये जाने तथा विभाग की समस्त प्रक्रियाओं को कम्प्यूटराइज्ड कर इन्टीग्रेटेड एक्साइज़ सप्लाय चैन मैनेजमेंट सिस्टम (IESCMS) के लिये सेवा प्रदाता का चयन किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की समस्त फुटकर दुकानों तथा समस्त मॉडल शॉप और भांग की फुटकर दुकानों की जियो-फेंसिंग कराया जाना तथा मदिरा की प्रत्येक फुटकर दुकान पर पी.ओ.एस.(प्वाइंट आफ सेल) मशीनों, जिनके द्वारा विक्रीत मदिरा की बोटल के क्यू.आर. कोड को स्कैन करके सूचना अपलोड की जा सकेगी, के माध्यम से ही बिक्री किये जाने की व्यवस्था लागू की जाती है।

2.18 नशे के दुष्प्रभावों एवं रिस्पॉसिबिल ड्रिंकिंग के संबंध में प्रचार प्रसार हेतु बजट का प्राविधान

नशे के दुष्प्रभावों एवं संयमित मदिरा सेवन (Responsible Drinking) के संबंध में आमजन को जानकारी दिये जाने एवं जागरूकता लाये जाने हेतु विशेष प्रचार अभियान संचालित किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से (1) Under Age Drinking (2) Drunken/Driving (3) Responsible Consumption पर केन्द्रित किया जाएगा।

इस हेतु प्रभावी अभियान चलाये जाने एवं विभिन्न IEC गतिविधियों हेतु 1 करोड़ रूपये का प्राविधान किया जाता है।

2.19 विभाग का सुदृढीकरण:-

उल्लेखनीय है कि राज्य आबकारी द्वारा संग्रहीत किये गये राजस्व पर किये गये व्यय का प्रतिशत अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त औसत से अत्यधिक कम है। यह व्यय प्रतिशत प्रदेश के अन्य राजस्व प्राप्तकर्ता विभागों की तुलना में भी कम है। वर्ष 2020-21 में यह व्यय 1 प्रतिशत से भी कम था तथा 2021-22 में भी 1 प्रतिशत से कम रहने की संभावनायें हैं। अतः राजस्व वर्धन हेतु विभाग को और अधिक संसाधन सुदृढ बनाए जाने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाएगी:-

- (i) विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराया जायेगा।
- (ii) मदिरा की समस्त फुटकर दुकानों पर सी.सी.टी.वी. लगाया जायेगा। सी.सी.टी.वी. बंद पाये जाने पर जुर्माने का प्राविधान किया जायेगा।
- (iii) कार्यहित में विभाग की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में सेवा निवृत्त सहायक अल्कोहल टेक्नोलॉजिस्ट एवं वरिष्ठ तकनीकी सहायकों को यथावश्यकता राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियमों के अनुसार संविदा पर नियुक्त किया जायेगा।

2.20 वर्ष 2022-23 के लिये अनुमानित राजस्व:-

क्र.सं.	मद	वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति में	वर्ष 2021-22 में अनुमानित राजस्व प्राप्ति	वर्ष 2022-23 में संभावित राजस्व वृद्धि	वर्ष 2022-23 में कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति
---------	----	---------------------------------	---	--	---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		अंकित अनुमानित राजस्व (करोड़ रु.में)	(करोड़ रु.में)	(करोड़ रु.में)	(करोड़ रु. में) (कालम 4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	देशी मदिरा- प्रतिफल फीस, बेसिक लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियाँ	17625	16700	2440	19140
2.	विदेशी मदिरा- प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियाँ	11018	9900	1886	11786
3.	बीयर- प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियाँ	3107	3600	716	4316
4.	अन्य मद- शीरे पर प्रशासनिक शुल्क, आसवनी, ब्रिवरी की लाइसेंस फीस, आयात- निर्यात फीस, फार्मेसियों से प्राप्तियाँ एवं भांग की बिडमनी इत्यादि	2750	5800	-1042	4758
	योग	34500	36000	4000	40,000

2.21 वर्ष के मध्य में आबकारी नीति में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में:-

आबकारी नीति की मा. मंत्रिपरिषद से स्वीकृति के उपरान्त क्रियान्वयन किये जाने पर यदाकदा कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। इन कठिनाइयों के समाधान एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की व्यवस्था के लिए गत वर्ष की भांति वर्ष 2022-23 हेतु निम्न व्यवस्था की जाती है:-

"आबकारी नीति की मा. मंत्रिपरिषद से स्वीकृति के उपरान्त क्रियान्वयन व राजस्व प्राप्ति में यदाकदा आने वाली कठिनाइयों के समाधान निवारण एवं प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु आबकारी नीति में सामयिक, व्यावहारिक, विधिक दृष्टि से किसी परिवर्तन हेतु आबकारी आयुक्त से प्राप्त, संस्तुत प्रकरणों पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर संस्तुति करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं प्रमुख सचिव, न्याय विभाग सदस्य तथा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग समिति के सदस्य, सम्मिलित हैं, को अधिकृत करने तथा समिति की संस्तुति पर मा. आबकारी मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

2.22 आबकारी नीति के क्रियान्वयन में संभावित जोखिम व आवश्यकतायें:-

- (1) इस बात की आशंका रहती है कि कतिपय दुकानें (लगभग 5-10 प्रतिशत) निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा अथवा लाइसेंस फीस पर व्यवस्थित न हो पायें। ऐसी दुकानों के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा अथवा लाइसेंस फीस में युक्ति-युक्त पूर्वक कमी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। नये अनुज्ञापियों को दुकान आवंटित होने की स्थिति में पिछले कई वर्षों से दुकानों को संचालित करने वाले अनुज्ञापियों द्वारा दुकानों के परिसर खाली करने में कठिनाइयां उत्पन्न की जा सकती हैं। अतः नवचयनित अनुज्ञापियों को इस संबंध में प्रशासन स्तर से सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- (2) राजस्व लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये तस्करी एवं अभिकर की चोरी रोकने के लिये योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया जाना आवश्यक होगा तथा इस संबंध में पुलिस विभाग का सक्रिय सहयोग एवं विभाग का सुदृढीकरण अपेक्षित होगा।

3. कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित राजस्व की प्राप्ति की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत कार्ययोजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सर्वसम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। उपरोक्तानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिन नियमों, अधिसूचनाओं आदि में संशोधन, परिवर्तन, अपमार्जन की कार्यवाही अथवा नये नियम, नियमावलियों तथा अधिसूचनाओं का प्रख्यापन, विखण्डन (समाप्त) किया जाना हो, उनका यथा प्रक्रिया समाप्यन्तर्गत प्रख्यापन कराया जाना प्रत्येक दशा में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सुनिश्चित करायें। यदि किन्हीं नियमों, अधिसूचनाओं आदि का संशोधन, परिवर्तन, अपमार्जन शासन स्तर से किया जाना हो, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर (हिन्दी व अंग्रेजी) में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि आगामी कार्यवाही समय से की जा सके। साथ ही उक्तानुसार वांछित संशोधनों का प्रख्यापन समय से सुनिश्चित कराने हेतु कृपया अपने स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र गहन समीक्षा भी कर लें ताकि भविष्य में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न न होने पाये।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(संजय आर. भूस्वरक्षी)
अपर मुख्य सचिव

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Pricing of C.L. (Spiced) (36.0% v/v) for the year 2022-23

S.No.	Item	Before IESCMS		Post IESCMS	
		Qty. (in ml)	Rate per B.L.	Qty. (in ml)	Rate per B.L.
			36%v/v		36%v/v
		200		200	
1	Cost of liquor(Rs.9.50/5)	1.90	9.50	1.90	9.50
2	Bottling, Labelling & Capsuling	2.33		2.33	
3	Packing charges	0.57	2.85	0.57	2.85
4	Bar code application	0.15		0.06	
5	Ex Factory price (without duty) -(R1+2+3+4)	4.95		4.86	
6	Excise Duty- (Rs 226/5)	45.20	226.00	45.20	226.00
7	Ex Factory price (with duty) - R(5+6)	50.15		50.06	
8	Profit @ 10% on the Ex Factory price (without duty on cost of liquor))- R(5)*0.10	0.50		0.49	
9	Ex Distillery Price (with duty)-R(7+8)	50.65		50.55	
10	Freight FOR at CL-2 wholesale Godown - (Rs1.50/5)	0.30	1.50	0.30	1.50
11	Wholesale Cost Price- R(9+10)	50.95		50.85	
12	Godown Expenses- (Rs1.50/5)	0.30	1.50	0.30	1.50
13	Wastage (@ 0.25% of ex-distillery price with duty)-R(7*.0025)	0.13		0.13	
14	Incidence of wholesale Licence Fee-(Rs0.91/5)	0.18	0.91	0.18	0.91
15	Cost price at Wholesale -R(11+12+13+14)	51.56		51.46	
16	Profit @ 2.5% of Cost price at wholesale without duty- R(15-6)*0.025	0.16		0.16	
17	Interest for WS for one weeks @ 6% - R(15*0.06)(7/365)	0.06		0.06	

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

18	Optimal Wholesale price R(15+16+17)	51.78		51.68	
19	MWP - R18	51.78		51.68	
20	Wholesaler's margin -R(19-11)	0.83		0.83	
21	Incidence of Retailer's basic Licence Fee - (Rs29.55/5)	5.91	29.55	5.91	29.55
22	Retailer's profit and expenses -(Rs 26.85/5)	5.37	26.85	5.37	26.85
23	Optimum margin for retailer - R(22+21)	11.28		11.28	
24	Optimum Retail Price -R(23+19)	63.06		62.96	
25	Provision for Track and Trace	0.35		0.35	
26	Optimum Retail Price with Track and Trace - R(24+25)	63.41		63.31	
27	MRP- Ceiling (R26,5)	65.00		65.00	
28	Additional Consideration Fees- R(27-26)	1.59		1.69	
29	Special additional Consideration Fees(SACF)	0.00		0.00	
30	Final MRP(R27+R29)	65.00		65.00	
31	Retailer's margin- R(24-19)	11.28		11.28	
32	Retailer's margin per litre- R31*5	56.40		56.40	
33	Retail Price of liquor per ml-R(30/200)	0.33		0.33	
34	% of Excise revenue in M Retail price- (R(29+28+21+14+6)/R30)*100	81.35		81.51	
35	Total Duty in Rs. (R6+R28+R29)	46.79		46.89	


Pricing of C.L. (Spiced) (25.0% v/v) for the year 2022-23

S.No	Item	2022-23		2022-23	
		Before IESCMS		Post IESCMS	
		Qty. (in ml)	Rate per B.L.	Qty. (in ml)	Rate per B.L.
		200	25 %v/v	200	25 %v/v

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।


1	Cost of liquor(Rs.6.65/5)	1.33	6.65	1.33	6.65
2	Bottling, Labelling & Capsuling	2.33		2.33	
3	Packing charges	0.57	2.85	0.57	2.85
4	Bar code application	0.15		0.06	
5	Ex Factory price (without duty) -(R1+2+3+4)	4.38		4.29	
6	Excise Duty- (Rs 156.94/5)	31.39	156.9 4	31.39	156.9 4
7	Ex Factory price (with duty) - R(5+6)	35.77		35.68	
8	Profit @ 10% on the Ex Factory price (without duty on cost of liquor))- R(5)*0.10	0.44		0.43	
9	Ex Distillery Price (with duty)-R(7+8)	36.21		36.11	
10	Freight FOR at CL-2 wholesale Godown -(Rs1.50/5)	0.30	1.50	0.30	1.50
11	Wholesale Cost Price- R(9+10)	36.51		36.41	
12	Godown Expenses- (Rs1.50/5)	0.30	1.50	0.30	1.50
13	Wastage (@ 0.25% of ex-distillery price with duty)- R(7*.0025)	0.09		0.09	
14	Incidence of wholesale Licence Fee-(Rs0.63/5)	0.13	0.63	0.13	0.63
15	Cost price at Wholesale -R(11+12+13+14)	37.03		36.93	
16	Profit @ 2.5% of Cost price at wholesale without duty- R(15-6)*0.025	0.14		0.14	
17	Interest for WS for one weeks @ 6% -R(15*0.06)/(7/365)	0.04		0.04	
18	Optimal Wholesale price R(15+16+17)	37.21		37.11	
19	MWP - R18	37.21		37.11	
20	Wholesaler's margin -R(19-11)	0.70		0.70	
21	Incidence of Retailer's basic Licence Fee -(Rs20.52/5)	4.10	20.52	4.10	20.52
22	Retailer's profit and expenses -(Rs 18.65/5)	3.73	18.65	3.73	18.65
23	Optimum margin for retailer - R(22+21)	7.83		7.83	
24	Optimum Retail Price -R(23+19)	45.04		44.94	

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



25	Provision for Track and Trace	0.35		0.35	
26	Optimum Retail Price with Track and Trace -R(24+25)	45.39		45.29	
27	MRP- Ceiling (R26,5)	50.00		50.00	
28	Additional Consideration Fees- R(27-26)	4.61		4.71	
29	Special additional Consideration Fees(SACF)	0.00		0.00	
30	Final MRP(R27+R29)	50.00		50.00	
31	Retailer's margin- R(24-19)	7.83		7.83	
32	Retailer's margin per litre- R31*5	39.15		39.15	
33	Retail Price of liquor per ml-R(30/200)	0.25		0.25	
34	% of Excise revenue in M Retail price- (R(29+28+21+14+6)/R30)*100	80.46		80.66	
35	Total Duty in Rs. (R6+R28+R29)	36.00		36.10	

<http://shasanadesh.up.gov.in>



- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Pricing of UP made Liquor (Spiced) (42.8 % v/v) for the year 2022-23					
		Before IESCMS			
		2022-23		2022-23	
S.No	Item	Qty. (in ml)	Rate per B.L.	Qty. (in ml)	Rate per B.L.
		200	42.8 %v/v	100	42.8 %v/v
1	Cost of liquor(Rs.27.70/5)	5.54	27.70	2.77	27.70
2	Bottling, Labelling & Capsuling	2.90	14.50	1.45	14.50
3	Packing charges	0.58	2.90	0.29	2.90
4	Bar code application	0.15		0.15	
5	Ex Factory price (without duty) -(R1+2+3+4)	9.17		4.66	
6	Excise Duty- (Rs 268.69/5)	53.74	268.6 9	26.87	268.6 9
7	Ex Factory price (with duty) - R(5+6)	62.91		31.53	
8	Profit @ 10% on the Ex Factory price (without duty on cost of liquor)- R(5)*0.10	0.92		0.47	
9	Ex Distillery Price (with duty)-R(7+8)	63.83		32.00	
10	Freight FOR at CL-2 wholesale Godown -(Rs1.55/5)	0.31	1.55	0.16	1.55
11	Wholesale Cost Price-R(9+10)	64.14		32.16	
12	Godown Expenses- (Rs1.50/5)	0.30	1.50	0.15	1.50
13	Wastage @ 0.25% of ex-distillery price with duty)- R(7*.0025)	0.16		0.08	
14	Incidence of wholesale Licence Fee-(Rs1.08/5)	0.22	1.08	0.11	1.08
15	Cost price at Wholesale -R(11+12+13+14)	64.82		32.50	
16	Profit @ 2.5% of Cost price at wholesale without duty- R(15-6)*0.025	0.28		0.14	
17	Interest for WS for one weeks @ 6% -R(15*0.06)/(7/365)	0.07		0.04	
18	Optimal Wholesale price R(15+16+17)	65.17		32.68	
19	MWP - R18	65.17		32.68	

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

20	Wholesaler's margin -R(19-11)	1.03		0.52	
21	Incidence of Retailer's basic Licence Fee -(Rs35.13/5)	7.03	35.13	3.51	35.13
22	Retailer's profit and expenses -(Rs 32.33/5)	6.47	32.33	3.23	32.33
23	Optimum margin for retailer - R(22+21)	13.50		6.74	
24	Optimum Retail Price -R(23+19)	78.67		39.42	
25	Provision for Track and Trace	0.35		0.35	
26	Optimum Retail Price with Track and Trace -R(24+25)	79.02		39.77	
27	MRP- Ceiling (R26,5)	80.00		40.00	
28	Additional Consideration Fees- R(27-26)	0.98		0.23	
29	Special additional Consideration Fees(SACF)	0.00		0.00	
30	Final MRP(R27+R29)	80.00		40.00	
31	Retailer's margin- R(24-19)	13.50		6.74	
32	Retailer's margin per litre- R31*5	67.50		67.40	
33	Retail Price of liquor per ml-R(30/200)	0.40		0.40	
34	% of Excise revenue in M Retail price (R(29+28+21+14+6)/R30)*100	77.46		76.80	
35	Total Duty in Rs. (R6+R28+R29)	54.72		27.10	


Pricing of UP made Liquor (Spiced) (42.8 % v/v) for the year 2022-23

		Post IESCMS			
		2022-23		2022-23	
S.No	Item	Qty. (in ml)	Rate per B.L.	Qty. (in ml)	Rate per B.L.
			42.8 %v/v	100	42.8 %v/v
1	Cost of liquor(Rs.27.70/5)	5.54	27.70	2.77	27.70
2	Bottling, Labelling & Capsuling	2.90	14.50	1.45	14.50
3	Packing charges	0.58	2.90	0.29	2.90
4	Bar code application	0.06		0.06	

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5	Ex Factory price (without duty) -(R1+2+3+4)	9.08		4.57	
6	Excise Duty- (Rs 268.69/5)	53.74	268.69	26.87	268.69
7	Ex Factory price (with duty) - R(5+6)	62.82		31.44	
8	Profit @ 10% on the Ex Factory price (without duty on cost of liquor))- R(5)*0.10	0.91		0.46	
9	Ex Distillery Price (with duty)-R(7+8)	63.73		31.90	
10	Freight FOR at CL-2 wholesale Godown -(Rs1.55/5)	0.31	1.55	0.16	1.55
11	Wholesale Cost Price- R(9+10)	64.04		32.06	
12	Godown Expenses- (Rs1.50/5)	0.30	1.50	0.15	1.50
13	Wastage (@ 0.25% of ex-distillery price with duty)- R(7*0.025)	0.16		0.08	
14	Incidence of wholesale Licence Fee-(Rs.1.08/5)	0.22	1.08	0.11	1.08
15	Cost price at Wholesale -R(11+12+13+14)	64.72		32.40	
16	Profit @ 2.5% of Cost price at wholesale without duty- R(15-6)*0.025	0.27		0.14	
17	Interest for WS for one weeks @ 6% -R(15*0.06)(7/365)	0.07		0.04	
18	Optimal Wholesale price R(15+16+17)	65.06		32.58	
19	MWP - R18	65.06		32.58	
20	Wholesaler's margin -R(19-11)	1.02		0.52	
21	Incidence of Retailer's basic Licence Fee -(Rs35.13/5)	7.03	35.13	3.51	35.13
22	Retailer's profit and expenses -(Rs 32.33/5)	6.47	32.33	3.23	32.33
23	Optimum margin for retailer - R(22+21)	13.50		6.74	
24	Optimum Retail Price -R(23+19)	78.56		39.32	
25	Provision for Track and Trace	0.35		0.35	
26	Optimum Retail Price with Track and Trace -R(24+25)	78.91		39.67	
27	MRP- Ceiling (R26,5)	80.00		40.00	
28	Additional Consideration Fees- R(27-26)	1.09		0.33	
29	Special additional Consideration Fees(SACF)	0.00		0.00	
30	Final MRP(R27+R29)	80.00		40.00	

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



31	Retailer's margin- R(24-19)	13.50		6.74	
32	Retailer's margin per litre- R31*5	67.50		67.40	
33	Retail Price of liquor per ml-R(30/200)	0.40		0.40	
34	% of Excise revenue in M Retail price- (R(29+28+21+14+6)/R30)*100	77.60		77.05	
35	Total Duty in Rs. (R6+R28+R29)	54.83		27.20	

<http://shasanadesh.up.gov.in>

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/माडल शाप/ की फुटकर दुकानों के वर्ष 2022-23 के लिए नवीनीकरण हेतु

शपथ-पत्र का प्रारूप

(रूपये 10/- के नानजुडीशियल नोटैराइज्ड स्टैम्प पेपर पर दिया जायेगा)

1- यह कि शपथकर्ता----- पुत्र/पुत्री/पत्नी -----
निवासी ----- दुकान-देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/ माडल शाप/ ----
-----, शाप आई0डी0 ----- जनपद-----

का वर्ष 2021-22 हेतु अनुज्ञापी है।

2- उक्त दुकान के लिये शपथकर्ता आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है।

3- यह कि शपथकर्ता अपनी उपरोक्त दुकान का वर्ष 2022-23 हेतु नवीनीकरण कराना चाहता है तथा अपनी उक्त दुकान को वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर संचालित करेगा।

4- यह कि शपथकर्ता ने वैध हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर से निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी है।

5- यह कि शपथकर्ता की उपरोक्त दुकान की अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयतायें बेबाक हैं।

6- यह कि शपथकर्ता की उपरोक्त दुकान की वर्ष 2021-22 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित है।

7- यह कि शपथकर्ता वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च 2022 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे गंभीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो।

8- यह कि शपथकर्ता शासन द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों के अनुसार माह मार्च 2022 तक की अवधि हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0/कुल राजस्व के समतुल्य निकासी लेगा।

9- यह कि शपथकर्ता अवगत है कि माह मार्च 2022 तक की अवधि हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0/कुल राजस्व के समतुल्य निकासी न लेने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2021-22 की प्रतिभूति धनराशि का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2022-23 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2021-22 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की वह प्रतिपूर्ति करेगा।

10- यह कि शपथकर्ता ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 एवं संबंधित नियमों एवं आदेशों तथा आबकारी नीति वर्ष 2022-23 को भली भाँति समझ लिया है। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा। वह वर्ष 2021-22 की शेष अवधि में तथा वर्ष 2022-23 में फुटकर दुकान के व्यवस्थापन की संगत नियमावली का पालन करेगा और नियामवली के किसी प्राविधान का उल्लंघन पाये जाने पर उसका अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये।

11- यह कि शपथकर्ता ने वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस/एम0जी0क्यू0/बे0ला0फी0/लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि/त्रैमासिक कुल प्रतिफल शुल्क आदि की जानकारी प्राप्त कर ली है तथा वह उपरोक्त के संबंध में शासन द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करेगा।

12- यह कि शपथकर्ता ने अपने बैंक खाते का त्रुटिरहित विवरण पोर्टल पर भर दिया है और भविष्य में उसे होने वाले समस्त भुगतान, यदि कोई हों, को उक्त बैंक खाते में ही प्राप्त करने पर सहमत है।

उपरोक्त क्रमांक 1 से 12 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं।

हस्ताक्षर शपथकर्ता-----

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के थोक अनुज्ञापन - सी.एल.-2/एफ.एल.-
2/एफ.एल.-2बी के वर्ष 2022-23 के लिए नवीनीकरण हेतु शपथ-पत्र का प्रारूप
(रूपये 10 /- के नानजुडीशियल नोटेराइज्ड स्टैम्प पेपर पर दिया जायेगा)**

- 1- यह कि शपथकर्ता----- पुत्र/पुत्री/पत्नी -----
निवासी ----- थोक अनुज्ञापन- सी0एल0-2/एफ0एल0-2/एफ0एल0-
2बी-----, अनुज्ञापन संख्या ----- जनपद-----
----- का वर्ष 2021-22 हेतु अनुज्ञापनी है।
- 2- उक्त थोक अनुज्ञापन के लिये शपथकर्ता आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है।
- 3- यह कि शपथकर्ता अपने उपरोक्त अनुज्ञापन का वर्ष 2022-23 हेतु नवीनीकरण कराना चाहता है तथा अपने उक्त अनुज्ञापन को वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर संचालित करेगा।
- 4- यह कि शपथकर्ता ने वैध हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर से निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी है।
- 5- यह कि शपथकर्ता के उपरोक्त अनुज्ञापन की अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयतायें बेबाक हैं।
- 6- यह कि शपथकर्ता के उपरोक्त अनुज्ञापन की वर्ष 2021-22 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित है।
- 7- यह कि शपथकर्ता के उपरोक्त अनुज्ञापन के विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2021-22 में नहीं पायी गयी है।
- 8- यह कि शपथकर्ता अवगत है कि अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा इस शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2021-22 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2022-23 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। उपरोक्तानुसार जब्त की गयी प्रतिभूति की वह प्रतिपूर्ति करेगा।
- 9- यह कि शपथकर्ता ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 एवं संबंधित नियमों एवं आदेशों तथा आबकारी नीति वर्ष 2022-23 को भली भाँति समझ लिया है जिसका वह पालन करेगा। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा।
- 10- यह कि शपथकर्ता ने वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस/लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि की जानकारी प्राप्त कर ली है तथा वह उपरोक्त के संबंध में शासन द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करेगा।
- 11- यह कि शपथकर्ता ने अपने बैंक खाते का त्रुटिरहित विवरण पोर्टल पर भर दिया है और भविष्य में उसे होने वाले समस्त भुगतान, यदि कोई हों, को उक्त बैंक खाते में ही प्राप्त करने पर सहमत है।
उपरोक्त क्रमांक-1 से 11 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं।

हस्ताक्षर शपथकर्ता -----



वैयक्तिक होम लाइसेंस

(निजी व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने हेतु)

शर्तें

1- वैयक्तिक होम लाइसेंस भारत निर्मित विदेशी मदिरा और समुद्र पार आयातित मदिरा हेतु निर्धारित सीमा तक के क्रय, परिवहन एवं कब्जे में रखने हेतु अधिकृत होगा।

2- वैयक्तिक होम लाइसेंस परिसर में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, परिवार के अतिथि एवं मित्र जो वयस्क हों द्वारा बिना वैयक्तिक होम लाइसेंस के धारक को किसी प्रकार का भुगतान (कैश अथवा काइन्ड अथवा दोनों) किये लाइसेंस की सहमति से मदिरा पान कर सकेंगे।

3- निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान करने पर पात्र आवेदकों को जिला कलेक्टर द्वारा वैयक्तिक होम लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा।

4- वैयक्तिक होम लाइसेंस की वार्षिक अथवा वर्ष के किसी भाग की निर्धारित लाइसेंस फीस जिला आबकारी अधिकारी के यहां जमा किया जायेगा। अधिकतम 03 आबकारी वर्षों हेतु वैयक्तिक होम लाइसेंस स्वीकृत किया जा सकेगा।

5- वैयक्तिक होम लाइसेंस हेतु ऐसे आवेदक पात्र होंगे जो विगत 05 वर्षों से आयकर दाता हों। आवेदन पत्र के साथ विगत 05 वर्षों के आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। विगत 05 आयकर निर्धारण वर्षों में से न्यूनतम 03 वर्षों में आवेदक द्वारा न्यूनतम 20 प्रतिशत श्रेणी में आयकर का भुगतान किया गया होना चाहिये। यदि कृषि आय के कारण 20 प्रतिशत आयकर के स्लैब में आने के बावजूद किसी आवेदक पर कर की देयता नहीं बनती हो तब ऐसा आवेदक भी उक्त लाइसेंस हेतु अर्ह होगा।

6- वैयक्तिक होम लाइसेंस के आवेदन पत्र के साथ आवेदक के पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न होना अनिवार्य होगा।

7- आवेदक को उसके निवास जहाँ वह माता-पिता, पुत्र/पुत्रियों और पत्नी सहित निवास करता हो में ही वैयक्तिक होम लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा। इस हेतु आवेदक को अपने मूल निवास के स्वामित्व संबंधी अभिलेख अथवा किरायनामा की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में उक्त आशय का नोटेराइज्ड शपथपत्र भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। फार्म हाउस में वैयक्तिक होम लाइसेंस लाइसेंस स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

8- आवेदक को इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वह-

(i) किसी अनधिकृत अथवा 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को उक्त परिसर में प्रवेश से सुरक्षित रखेगा।


(ii) परिसर में कोई अवैध मादक पदार्थ नहीं रखेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

9- वैयक्तिक होम लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की दशा में लाइसेंसधारी के विरुद्ध संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी तथा प्रतिभूति धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा।

10- वैयक्तिक होम लाइसेंस के परिसर में मदिरा की निम्न अधिकतम मात्रा संचित कर सकेगा:-




<http://shasanadesh.up.gov.in>

S. N.	Particular of liquors	Type	Size in ML				No. of Bottles and Cans			
i.	Whisky	BII	0	0	0	700/750	0	0	0	10
		BIO	0	175 0	1000	700/750	0	2	4	10
ii.	Rum	BII	0	0	0	700/750	0	0	0	3
		BIO	0	0	1000	700/750	0	0	1	4
iii.	Brandy	BII	0	0	0	700/750	0	0	0	4
		BIO	0	175 0	1000	700/750	0	1	1	4
iv.	Gin	BII	0	0	0	700/750	0	0	0	3
		BIO	0	0	1000	700/750	0	0	1	2
V	Vodka	BII	0	0	0	700/750	0	0	0	6
		BIO	0	0	1000	700/750	0	0	1	6
Vi	Cider	BII	0	0	0	700/750	0	0	0	2
		BIO	0	0	1000	700/750	0	0	1	2
Vii	Wine	BII	0	0	1000	700/750	0	0	1	6
		BIO	450 0	300 0	1500	700/750 /1000	1	1	2	6
Viii	Champagne	IMFL / BII	0	0	1000	750	0	0	2	2
		BIO	450 0	300 0	1500	700/750 /1000	1	1	2	4
Ix	Beer	BII	0	0	0	500/650	0	0	0	48
		BIO	0	500 0	1000	500/650	0	1	6	48
X	Liqueur	BII	0	0	1000	700/750	0	0	2	4
		BIO	0	0	1000	700/750	0	0	2	4
Xi	Tequila	BII	0	0	0	700/750	0	0	0	4
		BIO	0	0	0	700/750	0	0	0	4
Xii	Mezcal	BII	0	0	0	700/750	0	0	0	2
		BIO	0	0	0	700/750	0	0	0	2
Xiii	Cognac	BII	0	0	0	700/750	0	0	0	4
		BIO	0	175 0	1000	700/750	0	1	2	4

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Xiv	Bitters	BII	0	0	0	700/750	0	0	0	1
		BIO	0	0	0	700/750	0	0	0	2
Xv	LAB	BII	0	0	0	up to 650	0	0	0	48
		BIO	0	0	1000	up to 650	0	0	1	48

उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त श्रेणी के कुल 24 बोतल 90 एम.एल. / 60 एम.एल. की धारिता में अनुमन्य होगी।


<http://shasanadesh.up.gov.in>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।